धींधवाल पब्लिकेशन

DHP-45

Dhindhwal Publication

राजनीति-विज्ञान

Volume-I

उच्च माध्यमिक स्तर

I[st] ग्रेड-प्राध्यापक

(स्कूल-शिक्षा) 2024-25

- डायग्राम, टेबल आधारित सरल व रोचक प्रस्तुतिकरण
- RBSE/NCERT पर आधारित विषय वस्तु
- विगत परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का विश्लेषात्मक सार

: मार्गदर्शन :
IAS दिनेश कुमार

: लेखक :
डॉ.मंगल यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित (अवैतनिक)

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

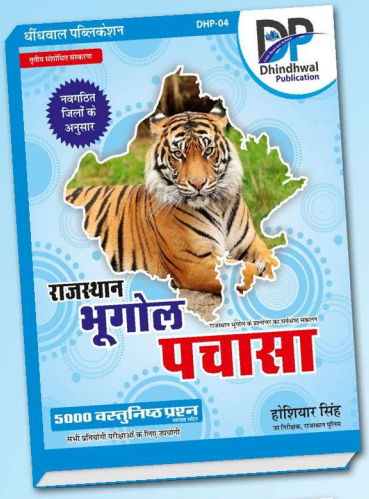

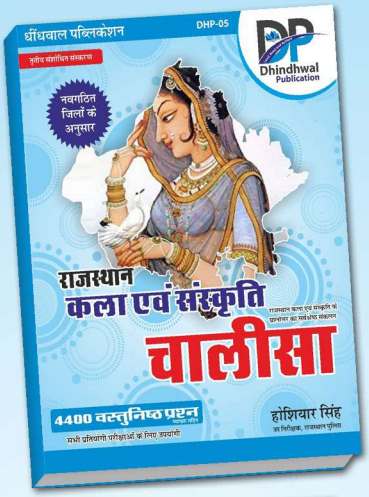

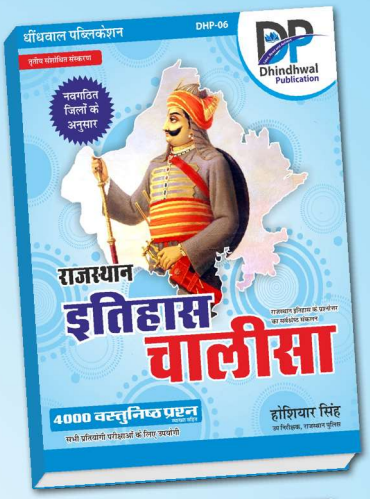

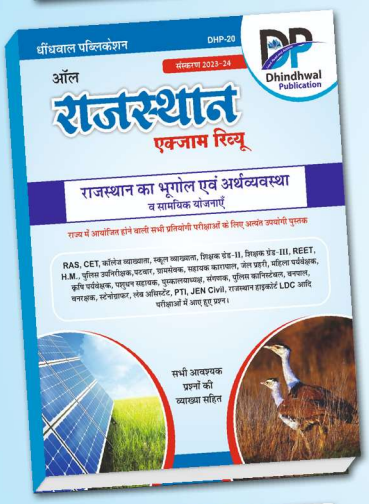

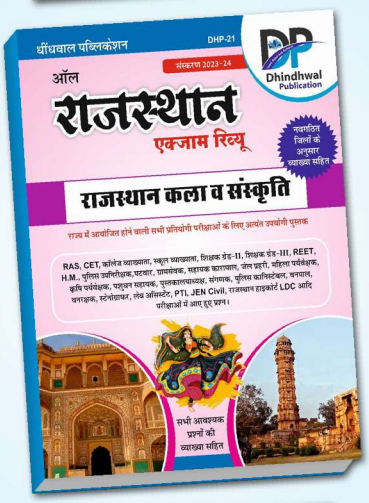

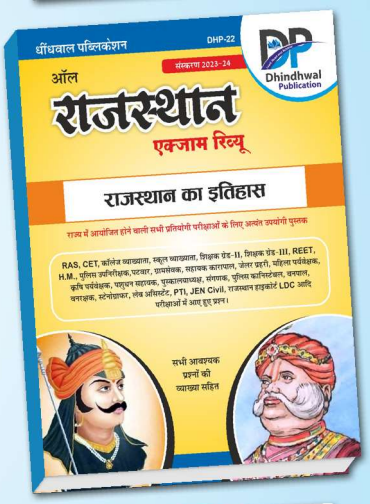

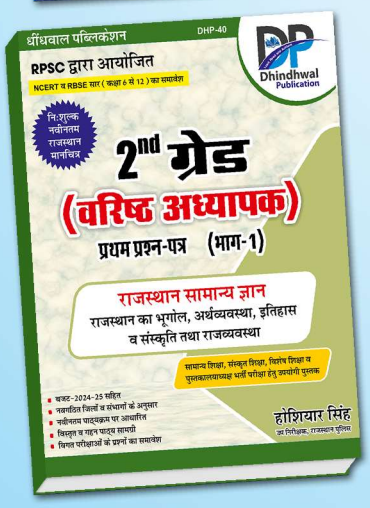

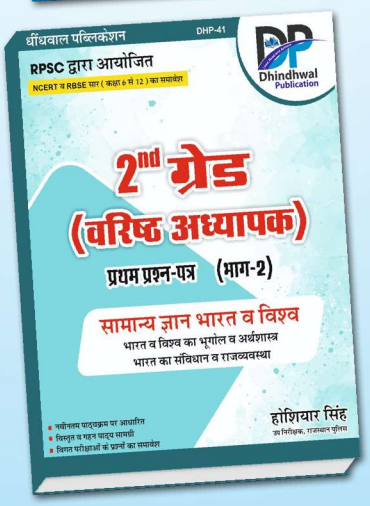

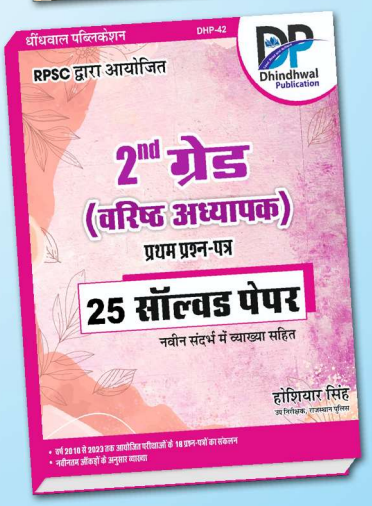

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

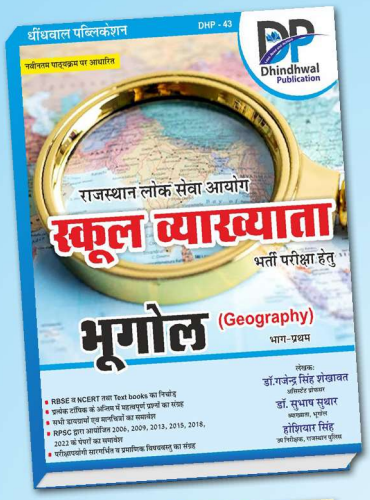

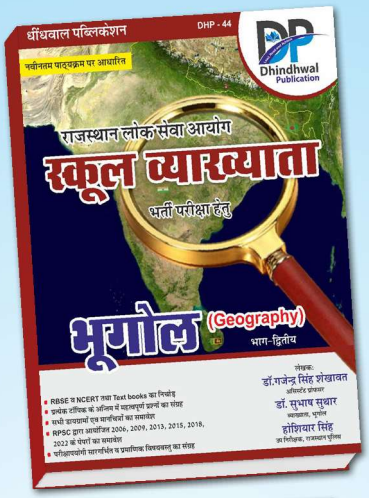

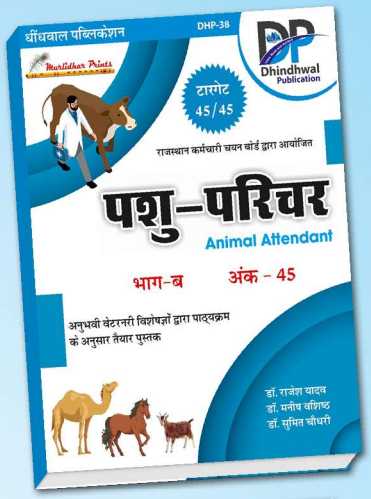

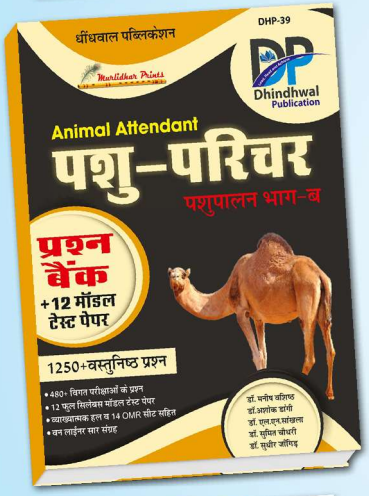

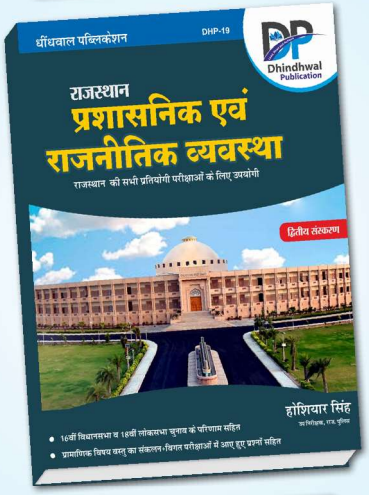

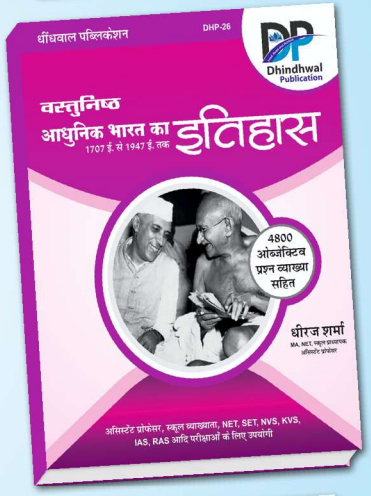

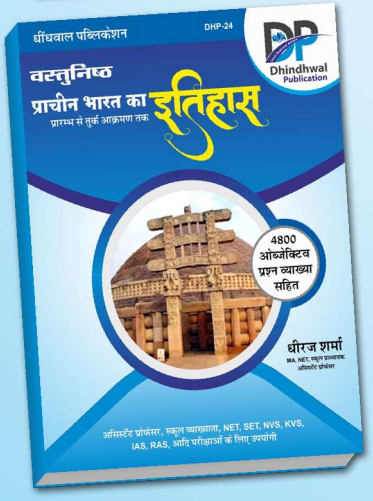

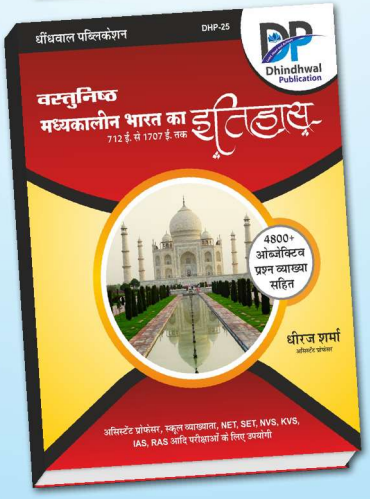

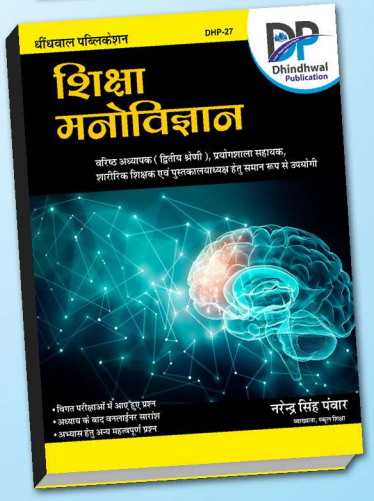

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

डॉ. मंगल यादव

(Assistant Professor चयनित)

: लेखक परिचय :

डॉ. मंगल यादव का जन्म जयपुर जिला, राजस्थान में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, इसी दौरान आप अनेक सरकारी सेवा में चयनित हुए। आपने राजस्थान की शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण विधियों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ''मंगल शिक्षण विधियाँ'' से लाखों विद्यार्थियों के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

हमारी अन्य पुस्तकें

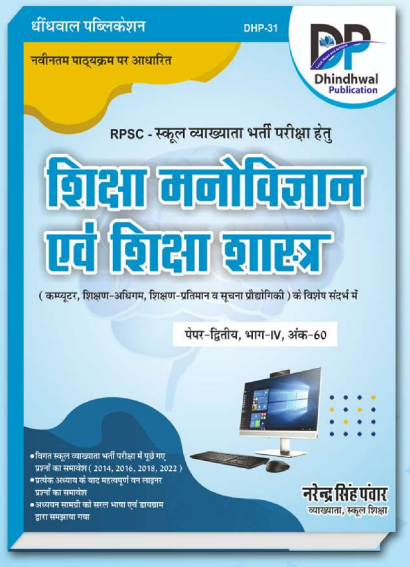

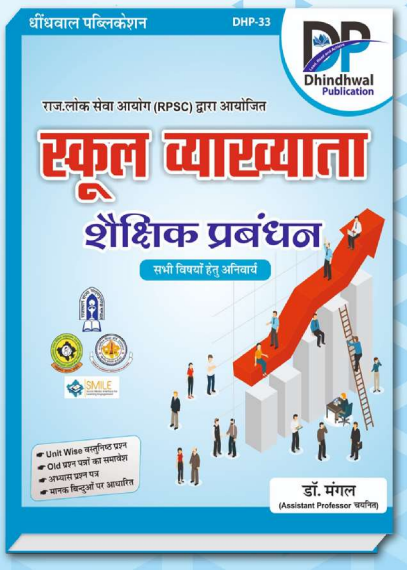

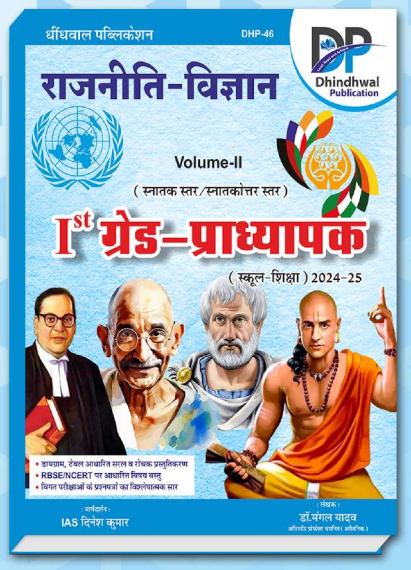

धींधवाल पब्लिकेशन
बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

प्रस्तुत करते हैं–

Dhindhwal
Publication

स्कूल व्याख्याता
राजनीति विज्ञान
(भाग–प्रथम)

- प्रामाणिक विषय–वस्तु का संकलन।
- परीक्षाओं के नवीन पैटर्न के अनुसार गहन व व्यापक पाठ्यसामग्री का संकलन।
- आरेख, मानचित्र, सारणियों सहित रोचक प्रस्तुतीकरण।
- पुस्तक की भाषा सरल एवं प्रत्येक अवधारणा को उदाहरण सहित समझाया गया है।

प्रकाशकः–
धींधवाल पब्लिकेशन
B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर
मो.– 8306733800

लेखकः– डॉ. मंगल
(असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित)

प्रकाशक:–

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो.– 8306733800

– Dhindhwal Publication

– धींधवाल पब्लिकेशन

– Dhindhwal Classes

– @Publication-DP

– Dhindhwal Publication

बुक कोड– DHP- 45

© सर्वाधिकार– लेखक

फिक्स रेट– 271.00/–

मुद्रक–

पिंकसिटी ऑफसेट, जयपुर

इस पुस्तक के किसी भी अंश का लेखक तथा प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना मुद्रित करना, कराना तथा इस पुस्तक की व इस पुस्तक के किसी भाग की फोटोकॉपी, स्केनिंग, इलेक्ट्रोस्टेट, मशीनी टंकण अथवा किसी भी तरीके से पुनः उपयोग करना, पी.डी.एफ बनाकर वाट्सअप या टेलीग्राम आदि पर प्रसारित करना पूर्णतः वर्जित है।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप रह जाना संभव है। अतः ऐसी किसी भी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप के कारण हुई क्षति अथवा क्लेश के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता व कर्मचारीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप उपर्युक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पुस्तक खरीद रहे हैं अतः दायित्व आपका स्वयं का होगा। सभी प्रकार के परिवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

स्कूल व्याख्याता भूगोल	
विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
(Unit-1) राजनीतिक सिद्धांत	1–9
राजनीतिक सिद्धांत : अर्थ, उपयोगिता, प्रकार	2–9
(Unit-2) राजनीतिक अवधारणाएँ	10–34
अधिकार	11–16
स्वतंत्रता	17–22
समानता	23–26
न्याय	27–32
धर्मनिरपेक्षता	33–34
(Unit-3) भारतीय संविधान	35–97
भारत का संवैधानिक विकास	36–45
संविधान परिचय	46–56
संविधान की विशेषताएँ	57–61
संविधान के स्रोत	62–63
संविधान की अनुसूचियाँ	64–67
संविधान के भाग	68–70
संविधान की प्रस्तावना	71–74
मौलिक अधिकार	75–88
नीति–निदेशक तत्त्व	89–95
मौलिक कर्त्तव्य	96–97
(Unit-4) संघवाद	98–123
संघवाद	99–100
संघवाद की रूपरेखा और भारत में संघवाद सिद्धांत और व्यवहार	101–111
केन्द्र–राज्य सम्बन्ध	112–123
(Unit-5) केन्द्र सरकार	124–195
राष्ट्रपति	125–141
उपराष्ट्रपति	142–145
प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद्	146–155
भारत का महान्यायवादी	156–157
संसद	158–185
न्यायपालिका	186–195
(Unit-6) राज्य सरकार	196–267
राजस्थान की राजव्यवस्था का परिचय	197
राज्यपाल	198–218
मुख्यमंत्री	219–232
मंत्रीपरिषद्	233–235
राज्य विधानमण्डल	236–261
उच्च न्यायालय	262–267

स्कूल व्याख्याता भूगोल	
विषय–वस्तु	**पृष्ठ संख्या**
(Unit-7) स्थानीय सरकार	**268–279**
स्थानीय स्वशासन– पंचायती राज व नगरीय शासन	**269–279**
(Unit-8) भारतीय राजनीति	**280–298**
राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ	**281–288**
दलीय प्रणाली	**289–293**
भारतीय राजनीति में समसामयिक विकास	**294–298**
(Unit-9) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति	**299–320**
शीत युद्ध	**300–314**
समकालीन विश्व में अमेरिका आधिपत्य	**315–320**
(Unit-10) भारत की विदेश नीति	**321–367**
भारत की विदेश नीति और चुनौतियाँ	**322–334**
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)	**335–348**
गुटनिरपेक्षता	**349–361**
भारत और USA	**362–367**

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक मेरे पिताजी श्री बाबू शिव लाल यादव (Ex-Army Officer– वर्तमान पद प्रधानाचार्य) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो राजस्थान में RPSC द्वारा आयोजित School Lecturer (स्कूल व्याख्याता) परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं। इस पुस्तक में मैंने निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया है–

1. पुस्तक की भाषा सरल एवं प्रत्येक अवधारणा को उदाहरण सहित समझाया गया है।
2. यह पुस्तक मानक पुस्तकों को आधार मानकर तथा RPSC की विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का विश्लेषण करके तैयार की गई है, ताकि विद्यार्थी सभी प्रश्नों को समझ सके और सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सके।
3. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों पर आधारित प्रामाणिक सामग्री का संकलन।
4. इस पुस्तक को इग्नु बोर्ड, विभिन्न ओपन विश्वविद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों एवं विभिन्न संदर्भ पुस्तकों को आधार मानते हुए तैयार किया गया है।

इस पुस्तक के लेखन कार्य में मेरी बहन **डॉ. पूजा यादव,** दिनेश कुमार (I.A.S.), डॉ. ममता (Assistant Professor) तथा **धींधवाल पब्लिकेशन** टीम का विशेष योगदान रहा है।

''मेरे दोस्तों, मेहनत के दम पर कामयाब होंगे, किस्मत के भरोसे तो पूरी दुनिया बैठी है।''

लेखकः– डॉ. मंगल
(असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित)
मो. – 7976216970

राजनीतिक सिद्धांत : अर्थ, उपयोगिता, प्रकार

राजनीतिक शब्द की उत्पत्तिः

Politics

उत्पत्ति → ग्रीक (यूनानी) भाषा से

शब्द → Polis / Politia

अर्थ → राज्य/नगर

✦ **Politics का अर्थः** प्राचीन काल में यूनान के विचारक नगर-राज्य की गतिविधियों को **Politics** कहते थे।

☞ **क्या आप जानते हैं**

- Politics शब्द का प्रयोग **सर्वप्रथम** अरस्तू ने किया था।
- अरस्तू ने **दर्शनशास्त्र** विषय से अलग करके इस विषय को नया रूप दिया। इसलिए अरस्तू को **राजनीतिक विज्ञान का पिता** कहा जाता है।
- **मेरी वुल्स्टॉनक्राफ्ट** ने Politics को Political Science (राजनीति विज्ञान) **नाम देने का श्रेय** जाता है।

सिद्धांत शब्द की उत्पत्तिः

Theory

उत्पत्ति → ग्रीक / यूनानी

शब्द → Theory

अर्थ → व्यवस्थित अध्ययन

✦ **लियो स्ट्रॉस के अनुसार,** राजनीतिक सिद्धांत को निम्नलिखित अर्थों में समझा जा सकता है-

1. राजनीति सिद्धांत वैज्ञानिक व आदर्शात्मक दोनों होता है।
2. राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों व तर्कों पर आधारित होता है।
3. राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, राजनीतिक आदर्शों व मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन है।
4. राजनीतिक सिद्धांत निष्कर्ष पर आधारित है।

✦ **राजनैतिक सिद्धांत का अर्थ निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता हैं-**

1. सिद्धांत राजनैतिक घटनाओं को देखने व समझने में उपयोगी है।
2. सिद्धांत व्यवस्थित चिन्तन है जो तर्क संगतता पर आधारित होता है।
3. सिद्धांत राजनीतिक वास्तविक और राजनीतिक आदर्श से संबंधित सत्य की खोज है।
4. सिद्धांत सामाजिक व राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रचलित विश्वासों व मान्यताओं का परीक्षण करता है, उनकी व्याख्या करने के साथ-साथ उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है।
5. राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, राजनीतिक आदर्शों व मूल्यों का व्यवस्थित ज्ञान है।
6. सिद्धांत वैज्ञानिक (व्याख्या) व आदर्शात्मक (मूल्यांकन) दोनों होता है। यह तथ्यों पर भी आधारित होता है और तर्कों पर भी।

✦ **परम्परागत उपागम:**

1. **ऐतिहासिक उपागम:** राजनीतिक घटनाओं व संस्थाओं का अध्ययन इतिहास के आधार पर।
   समर्थक - अरस्तू मैकियावली, हीगल, मॉण्टेस्क्यू आदि।
2. **दार्शनिक उपागम** - दर्शन व नीतिशास्त्र पर जोर। **समर्थक** - प्लेटों, थॉमस मूर, गांधी।
3. **संस्थात्मक उपागम** - राजनीतिक संस्थाओं व समूहों का अध्ययन। **समर्थक** - सर्टोरी, दुवर्जर, लार्ड ब्राइस, लॉवेल, फाइनर।
4. **कानूनी/विधि/वैधानिक उपागम** -बोदां, हॉब्स, बेन्थम, ऑस्टिन
5. **तुलनात्मक उपागम:** अरस्तू, लॉर्ड ब्राइस, माण्टेस्क्यू, डी. टॉकविले।

✦ **आधुनिक उपागम:**

1. अन्त: विजय उपागम
2. व्यवहारवादी उपागम
   (i) व्यवस्था उपागम (डेविड ईस्टन)
   (ii) संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम (आमण्ड)।
   (iii) संचार उपागम / सम्प्रेषण उपागम -कार्लडॉयच।
   (iv) निर्णय निर्माण उपागम - हरबर्ट साइमन
3. मनोवैज्ञानिक उपागम -

➢ **क्या आप जानते हैं?**

- ग्राहक वालास ने 'Human Nature in Politics' & 1908, लॉसवेल और Who gets what when How'- 1936 पुस्तकों में मनोवैज्ञानिक उपागम का उल्लेख मिलता है।

4. आर्थिक उपागम - एन्थनी डाउन्स 'An Economic theory of Democracy' - 1957

✦ **समकालीन उपागम:**

1. ऐतिहासिक उपागम/दृष्टिकोण
2. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण (Sociological Approach)
3. दार्शनिक दृष्टिकोण - (Philosophical Approach)/ स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण
4. समन्वयात्मक दृष्टिकोण
5. राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता
6. सन्दर्भीय दृष्टिकोण
7. उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण/उत्तर संरचनावादी दृष्टिकोण

राजनैतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र:

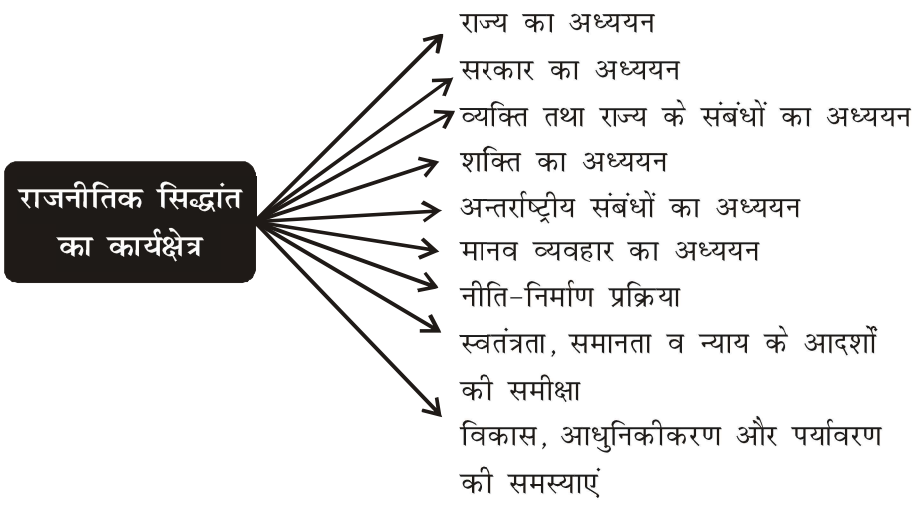

राजनीतिक सिद्धांत का वर्गीकरण:

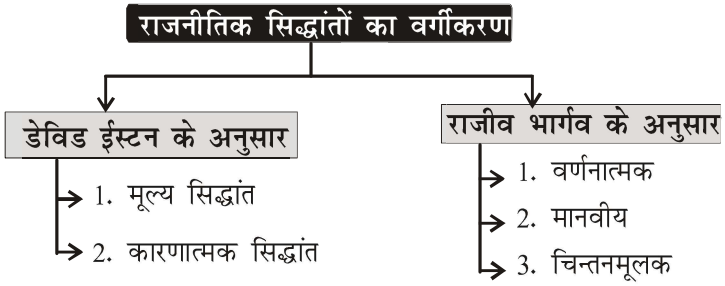

➢ डेविड ईस्टन राजनीति सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं-

1. मूल्य सिद्धांत:

- इसका संबंध परम्परागत सिद्धांत से है जो आदर्शात्मक है।
- **ईस्टन आदर्शात्मक सिद्धांत** को 'रचनात्मक मूल्य सिद्धांत' कहते है।
- **ईस्टन के अनुसार** हम 'अपने मूल्यों को कोट की तरह उतार कर फैंक नहीं सकते।'

2. कारणात्मक सिद्धांत:

- कारणात्मक सिद्धांत से ईस्टन का आशय राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यवस्थित आनुभाविक ज्ञान से है।
- कारणात्मक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पर्याय है।

✦ **ईस्टन के अनुसार**- शोध व सिद्धांत निर्माण घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए है। अगर शोध से सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं करके केवल समरूपताओं की अन्धाधुंध खोज हो और तथ्यों के ढेर लगाए जाएं तो यह **'अनगढ़ अनुभववाद'** की ओर ले जाएगा।

1. व्याख्यात्मक/वर्णनात्मक:

- मार्क्स द्वारा पूंजीवाद की आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद
- मेक्स वेबर द्वारा पूंजीवाद की उत्पत्ति की धार्मिक व्याख्या

2. मानकीय:

- व्यवहार के मानकों का निर्धारण

3. चिन्तनमूलक:

- मनुष्य के जीवन में बदलाव के लिए गहरा चिन्तनमूलक अध्ययन

राजनीतिक सिद्धांत के तत्व:

परम्परागत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अन्तर		
क्र.सं.	परम्परागत राजनीति सिद्धान्त	आधुनिक राजनीति सिद्धांत
1.	मूल्यों पर जोर	तथ्यों पर जोर
2.	समष्टिवादी	व्यष्टिवादी
3.	नैतिकता व राजनैतिक मूल्यों पर बल	मूल्य मुक्त
4.	कल्पनात्मक व आदर्शात्मक	व्यवहारिक व वैज्ञानिक
5.	ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन पर बल	आनुभाविक, वैज्ञानिक, प्रायोगिक, व्यावहारिक व अन्तः अनुशासन अध्ययन पर बल
6.	सामाजिक परिवर्तन पर बल	ज्ञान के लिए ज्ञान
7.	मानकीय	व्यावहारिक व तटस्थ
8.	व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ-अध्ययन	वस्तुनिष्ठ अध्ययन
9.	गुणात्मक	परिमाणात्मक/मात्रात्मक,
10.	आदर्श राज्य की खोज	मानव व्यवहार की खोज
11.	महान प्रसंगों व गौरव ग्रंथों का अध्ययन	मानव व्यवहार पर बल
12.	यह मूल्यांकन परक आदर्शात्मक व निर्देशात्मक/अनुशंसात्मक होता है।	यह आनुभाविक व व्याख्यात्मक होता है।
13.	शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ नहीं मानता	प्रक्रियामूलक
14.	यह घटनाओं का मूल्यांकन करता है। उनका मूल्यांकन भी करता है।	यह शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित आलोचनात्मक करता है।
15.	प्रयोजनमूलक	प्रक्रियामूलक
16.	दर्शनिक व सैद्धांतिक	वैज्ञानिक व विश्लेषणात्मक

राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता:

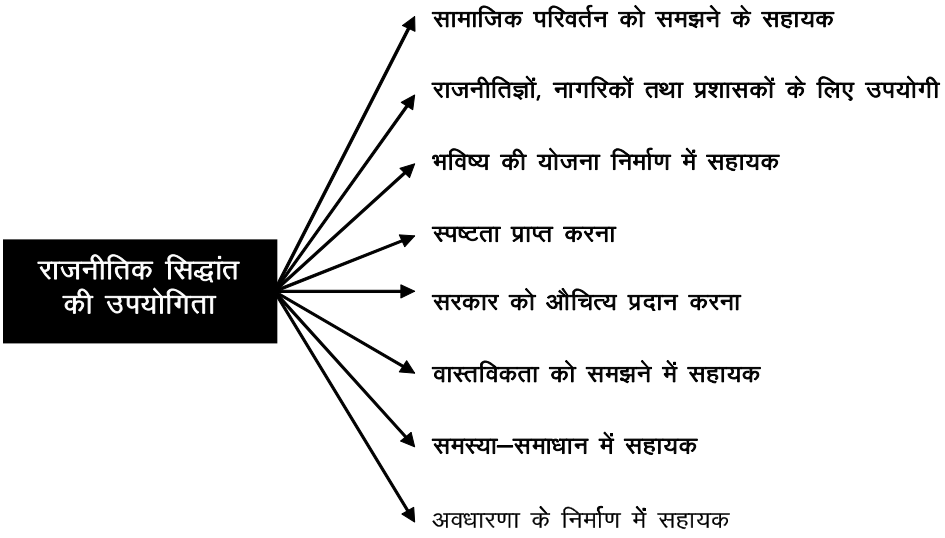

- राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत का अपना ही विशेष महत्त्व रहा है हालांकि पिछली शताब्दी के अंतिम दशक तक कुछ विद्वानों द्वारा राजनीतिशास्त्र, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीति को एक-दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीतिक विद्वान ने इन सभी शब्दावलियों को स्पष्ट शब्दरुचि देने में सफलता प्राप्त की। अतः आज इन शब्दों को एक निश्चित अर्थ के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न है, इसका अर्थ जानने के लिए इसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। राजनीति के लिए Politics (पॉलिटिक्स) शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजनीति में सामान्यतः औपचारिक संरचनाओं जैसे-राज्य, शासक व शासन तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन तो किया जाता है साथ ही साथ अनौपचारिक संरचनाओं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, युग संगठन, जनमत आदि का अध्ययन भी किया जाता है। अतः राजनीति का संबंध संकीर्ण न होकर विस्तृत है।

अधिकार

अधिकार का अर्थ व परिभाषाएँ

✦ **अधिकार का अर्थ:** अधिकार आत्मविकास के वह दावा है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तथा राज्य द्वारा प्रदान है।

✦ **अधिकार का शाब्दिक अर्थ:**

- अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर है जिनसे देश के आत्मविकास में सहायता मिलती है। अधिकार वह बाह्य अवस्था है जहाँ व्यक्ति का आंतरिक सर्वांगीण विकास सम्भव है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- जे.एल. फेनबर्ग ने बताया अधिकार व्यक्ति की पात्रता को रेखांकित करते हैं।

अधिकार की परिभाषाएं

☞ **लास्की** '' अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां है जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता।

☞ **बार्कर** ''अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और कानून आधारित है।''

☞ **हॉब हाऊस** – "अधिकार वही है जैसा कि हम अन्यों से अपने प्रति आशा करते है और जैसा कि अन्य हम से आशा करते है।"

☞ **बोसांके** – "अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।"

☞ **सालमण्ड** – "सत्य के नियम द्वारा रक्षित हित का नाम ही अधिकार है।"

☞ **विले** के अनुसार, 'अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दाव है जो कुछ कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है।'

☞ **टी. एच. ग्रीन** के अनुसार, 'अधिकार वह शक्ति है जिसका व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय द्वारा प्रयोग है जिसे समाज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसलिए स्वीकार कर लिया जाए कि वह सामान्य हित के लिए आवश्यक हो अथवा ऐसी सत्ता द्वारा वह दिया गया हो जिसको आवश्यक समझा जाता है।'

☞ **नॉजिक** के अनुसार, 'व्यक्ति के अधिकार होते हैं। अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान हो।'

☞ **मैकन** के अनुसार, 'अधिकार सामाजिक हित के लिए कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो नागरिक के यथार्थ विकास के लिए अनिवार्य है।'

➢ **निष्कर्ष:**

- अधिकारों का जन्म समाज में होता है।
- अधिकार सार्वजनिक हित के लिए होते हैं।
- अधिकार निश्चित होने चाहिए।
- अधिकार दायित्व से घनिष्ठ संबंध रखते हैं।
- अधिकार स्वार्थमय दावा नहीं है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ होयफील्ड विद्वान ने अधिकार के चार तत्व बताये-

1. विशेषाधिकार
2. दावा
3. सत्य
4. प्रतिरक्षा

अधिकार की विशेषताएं:

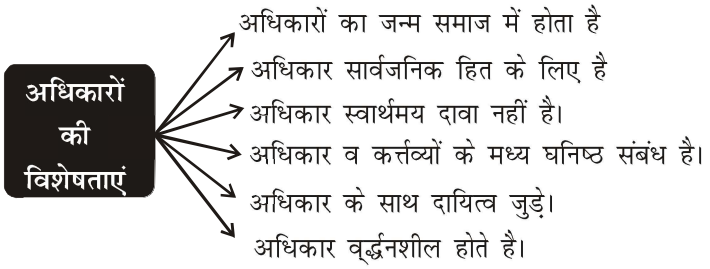

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ **कारेल बसाक** ने मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियाँ बतायी हैं—

1. प्रथम पीढ़ी - नागरिक-राजनीतिक अधिकार
2. दूसरी पीढ़ी - सामाजिक-आथिक व सांस्कृतिक अधिकार
3. तीसरी पीढ़ी - सामूहिक विकासात्मक अधिकार

स्वतंत्रता के रूप

स्वतंत्रता के रूप

(A) नकारात्मक/औपचारिक/ प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता

- नागरिक, राजनीतिक व कानूनी स्वतंत्रता पर बल
- बंधनों का अभाव/निर्बाध स्वतंत्रता
- समर्थक शासन व्यवस्था- उदारवाद- पूंजीवाद
- समर्थक विचारक

(i) परम्परागत/नकारात्मक उदारवादी- लॉक, स्पेन्सर, मिल, एड्स स्मिथ, रिकार्डो, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन

(ii) स्वेच्छातंत्रवादी- हेयक, नाजिक बर्लिन, फ्रीडमैन

(B) सकारात्मक/अनौपचारिक/ तात्विक स्वतंत्रता

- सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता पर बल
- युक्तियुक्त प्रतिबंध
- समर्थक विचारधाराएं
- समाजवादी, लोककल्याणकारी, आदर्शवादी
- समर्थक विचारक

(i) सकारात्मक/आधुनिक उदारवादी -लॉस्की, टॉनी, कीन्स, हॉबहाउस, मैकाइवर

(ii) आदर्शवादी - हीगल, कांट, ग्रीन, रूसो

(iii) समतावादी - जॉन रॉल्स, मैकफर्सन, अमर्त्य सेन, ड्वोकिन

(iv) मार्क्सवादी/नवमार्क्सवादी

- यदि कोई व्यकित कुछ करना चाहता हो और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका न जाये। इस तरह की स्वतंत्रता को **औपचारिक स्वतंत्रता या नकारात्मक स्वतंत्रता** कहते है।
- जब समाज भारी आर्थिक विषमताओं से ग्रस्त हो तब नकारात्मक स्वतंत्रता इन विषमताओं के प्रति तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाती है। **लॉक, जेम्स मिल, स्पेंसर, बट्रेण्ड, रसेल।**
- **सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता** का अर्थ यह है कि कमजोर वर्गो की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयत्न किया जाएं ताकि सबको अपने सुख की साधना का उपयुक्त अवसर मिल सके।
- स्वतंत्रता का यह सिद्धान्त उन प्रतिबंधों और विवश्ताओं को समाप्त करने की मांग करता है जो सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुई हो और उन्हें हटाना व्यावहारिक भी हो। **ग्रीन, बोसांके एवं हिगल समर्थक।**

स्वतन्त्रता का प्रकार

स्वतंत्रता के प्रकार

प्राकृतिक स्वतंत्रता
- प्रतिबंधों का अभाव
- प्रत्येक मनुष्य विवेकशील
- हॉब्स

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
- मिल- व्यक्ति अपने शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का सम्प्रभु है।

नैतिक स्वतंत्रता
- सबसे उत्कृष्ट स्वतंत्रता
  - प्लेटो
  - अरस्तु
  - काण्ट
  - ग्रीन

नागरिक स्वतंत्रता
- युक्तियुक्त प्रतिबंध
  - जीवन की व देह की स्वतंत्रता
  - अन्त:करण की स्वतंत्रता
  - विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- अर्नेस्ट बार्कर
  - दैहिक स्वतंत्रता
  - बौद्धिक स्वतंत्रता विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

राजनीतिक स्वतंत्रता
- मतदान की
- चुनाव लड़ने की
- शासन की आलोचना की
- शासन कार्य में भागीदारी की स्वतंत्रता
- संघ बनाने की
- यह लोकतंत्र में ही होती है।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता

आर्थिक स्वतंत्रता
- नकारात्मक पूंजीवादी
- सकारात्मक समाज कल्याण

समानता

✦ समानता क्या है?

- हम यह कहते है कि "सब मनुष्य जन्म से समान है" अथवा ईश्वर ने सब मनुष्य को समान बनाया है। वस्तुतः मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इस दृष्टि से सब मनुष्य समान है।

✦ समानता की संकल्पना

- समानता एक आधुनिक विचार है। यह सत्य है कि मनुष्य के साथ समानता का बर्ताव होना चाहिए लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि मनुष्य वास्तव में समान नहीं है।
- समानता की संकल्पना एक **सापेक्ष संकल्पना** है।
- आधुनिक युग में रूस (1917), फ्रांस की क्रांति (1789) व अमेरीकन क्रांति (1776) ने समानता की संकल्पना को केन्द्रीय विषय बना दिया।
- 1776 में अमेरिकन स्वतंत्रता के घोषणापत्र के अनुसार, ''हम इस सत्य को स्वत: सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान है।''

✦ समानता की अवधाारणा:

➢ **लास्की ने** समानता की अवधाारणा की तीन प्रमुख स्थिति जो इस प्रकार है–

1. विशेषाधिकारों का अभाव
2. समान अवसरों की उपलब्धि।
3. सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की प्राथमिकता।

समानता के विविध आयाम (प्रकार)

समानता के विभिन्न आयाम (प्रकार)

औपचारिक समानता	अवसर की समानता	परिणामों/ परिस्थितियों की समानता	कल्याण की समानता
↓	↓	↓	↓
समर्थक	समर्थक	समर्थक	समर्थक
↓	↓	↓	↓
परम्परागत उदारवादी व स्वेच्छातंत्रवादी	आधुनिक उदारवादी व समानतावादी	मार्क्सवादी	उपयोगितावादी
कानूनी और राजनीतिक अधिकारों का समान वितरण आधार - सभी मनुष्य जन्म से समान है।	सभी के पास एक ही प्रारंभिक बिन्दु का होना अथवा समान जीवन अवसर होना।	आप, धन व अन्य सामाजिक वस्तुओं का समान वितरण होना	समान संसाधन वितरण पर जोर नहीं दिया जाता। यह निष्पक्षता, आत्मसम्मान या बंधुत्व जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा नहीं देती।

✦ समानता के अन्य आयाम:

(अ) कानूनी समानता,
(ब) राजनीतिक समानता
(स) आर्थिक–सामाजिक समानता।
(द) लैंगिक समानता

➢ **रूसो** ने अपनी रचना ''**डिस्कोर्स ऑफ इक्विैलिटी**'' (1755) में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर किया–

(अ) **प्राकृतिक विषमता**–मनुष्य में आयु, कद, रंग, सौंदर्य, बाहुबल, बुद्धिबल इत्यादि की विभिन्नताएँ।

(ब) **परम्परागत विषमता**– धन संपदा, पद प्रतिष्ठा व शक्ति की भिन्नता अर्थात्! मानव या समाज द्वारा निर्मित भिन्नता।

➢ **असमानता (विषमता) के दो तर्कसंगत आधार–**

(अ) भेदभाव का कोई तर्कसंगत कारण अवश्य होना चाहिए।
(ब) मुक्त प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में कमजोर वर्ग को कुछ छूट दी जानी चाहिए ताकि वह ताकतवर वर्ग के मुकाबले नुकसान में न रहे।

- **अरस्तू** ने दासप्रथा का समर्थन किया है।
- **लॉक** ने रोमन कैथोलिक को नागरिकता से वंचित रखा।

(द) लैंगिक समानता

- समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त में विशेषतः नारी मुक्ति आन्दोलन ने लैंगिक समानता के दृष्टिकोण पर विशेष प्रकाश डालने का प्रयास किया।
- **प्लेटो** ने अपनी रचना रिपब्लिक में लैंगिक समानता का प्रथम प्रयास किया।
- **अरस्तू प्लेटो** के लैंगिक समानता के विचारों की आलोचना करता है, वह स्त्री को 'अनुत्पादक पुरूष' बताता है।
- **हॉब्स** मानवीय समानता का पक्षधर था। हॉब्स का मत है कि स्त्रियाँ पुरूषों के समान ही क्षमतावान होती है।
- **रूसो** पितृसत्तात्मक परिवार का पक्षधर है अतः रूसो का मत है कि पुरूष का स्त्री पर शासन करना अनिवार्य है, ताकि वह चरित्रवान और शुद्ध बनी रहे।
- **बेंथम** ने स्त्रियों के लिए शिक्षा का तो समर्थन किया है, लेकिन स्त्रियों के मताधिकार का विरोध किया। बेंथम अपनी रचना "Constitution Code" में स्वीकार करता है कि स्त्री मताधिकार में गलत कुछ नहीं है, लेकिन समय इसके लिए परिपक्व नहीं है।
- **JS मिल** लैंगिक समानता का समर्थन करता है तथा अपनी रचना **"द सब्जेक्शन"** में स्त्रियों के लिए समानता की तीन अनिवार्य क्षेत्र चिन्हित करता है – शिक्षा, मताधिकार एवम् नौकरियों में समान अवसर।
- **मार्क्स और एंगेल्स** ने अपनी कृति "होलीफैमिली" में स्पष्ट किया कि स्त्री की मुक्ति समाज की मुक्ति के साथ जुड़ी हुई है।

स्वतंत्रता और समानता

- **दोनो पूरक–स्वतंत्रता** तभी सार्थक है जब उसकी व्याख्या सब मनुष्यों की 'समान स्वतंत्रता' के रूप में की जाए।
- सकारात्मक समानत की सबसे प्रमुख माँग यह है कि एक वर्ग को अपनी संपदा के बल पर दूसरों का शोषण करने से रोक जाए।
- टी.एच. ग्रीन, लास्की, मैक्फर्सन आदि समानता को स्वतंत्रता का पूरक मानते है।
- **बर्लिन** "The Concept of Liberty" (1958) में लिखा कि "स्वतंत्रता का अर्थ केवल यह है कि किसी व्यक्ति को अपने ध्येय की पूर्ति के दौरान दूसरों की ओर से किसी बाधा का सामना न करना पड़े।"
- **बर्लिन** ने वर्तमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं के निराकरण को राज्य कार्यक्षेत्र से बाहर रखते हुए समानता के दावे को अस्वीकार कर दिया।
- **एफ. ए. हायक**–"Constitution of Liberty" (1960) पुस्तक की रचना की।
- **हेयक** समानता व स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते है।
- **हेयक** ''बाजार प्रणाली'' के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता की समस्या हल करना चाहता है।
- **हेयक**–स्वतंत्रता के नाम पर ''स्वेच्छातंत्रवाद "Libertariasnism का समर्थक है।
- स्वेच्छातंत्रवाद–व्यक्ति की समानता–बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था–राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप।

समानता और न्याय

- **अरस्तू** ''न्याय का अर्थ है समान के साथ समान व्यवहार किया जाए तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए।''
- **हेयक** ने "Law, Legislation & Libery" में कहा कि ''सामाजिक न्याय'' का विचार ही निरर्थक है।
- न्याय की तलाश केवल प्रक्रिया का विषय है जिसका ध्येय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
- हेयक का स्वेच्छातंत्रवाद 'प्रक्रियात्मक न्याय' का समर्थन करता है। प्रक्रियात्मक न्याय, सारे सामाजिक संबंधों को बाजार संबंधों में बदल देने की हिमायत करता है।

समानता का समतावादी सिद्धान्त

- समतावाद के समर्थक मानते है कि समानत सदैव न्यायोचित है।
- जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धान्त का आधार समतावाद ही है।
- समतावाद समाज के सब सदस्यों का एक ही श्रृंखला की कड़िया मानता है जिसमें मजबूत कड़िया, कमजोर कड़ियों की हालत से अछूती व अप्रभावी नही रह सकती।
- समतावादी तात्विक न्याय व सामाजिक न्याय का समर्थन करते है।

➢ Hobhouse ने "The Altiment of Social Justice (1922)" नामक पुस्तक में लिखा कि–

→ **"न्याय का ध्येय कानूनी, राजनीतिक व सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अनुचित विषमताओं को दूर करना है।"**

समानता के प्रकार

समानता का प्रकार

सकारात्मक समानता	नकारात्मक समानता
अवसरों की उपलब्धता की समानता	कुछ निश्चित विशेषाधिकारों की समाप्ति

अरस्तु के अनुसार समानता के प्रकार

संख्यामक	आनुपातिक
बिना भेदभाव समान व्यवहार सभी व्यक्ति एक सम्मान	परिस्थितियों की जाँच कर योगदान को पहचान कर।

अमर्त्य सेन के अनुसार समानता के प्रकार

कल्याण की समानता	संसाधनों की समानता	क्षमताओं की समानता
उपयोगितावादी	रोनाल्ड ड्वोंकिन	अमर्त्य सेन मार्था नुसबॉम

न्याय

न्याय शब्द की उत्पत्ति

न्याय
Justice

उत्पत्ति → लैटिन भाषा से
शब्द → Justia
अर्थ → जोड़ना

न्याय का अर्थ

- न्यास अंग्रेजी के **Justice** का शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा Jus से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ **अभिप्राय जोड़ना** है।

➢ **न्याय का व्यापक अर्थः**

- न्याय एक व्यापक संकल्पना है जिसका प्रयोग नैतिक, वैधानिक, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि विविध रूपों में किया जाता है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ न्याय के दो मूल तत्व होते हैं–

1. समानता
2. निष्पक्षता

- भारतीय दर्शन में इसका पर्यायवाची शब्द **'धर्म'** है।

न्याय की परिभाषाएं

- **अरस्तू** ''न्याय व सम्पूर्ण सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं।''
- **जॉन रॉल्स** ''न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है।''

न्याय के स्रोत

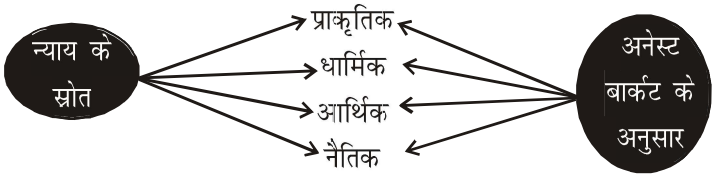

न्याय के प्रकार

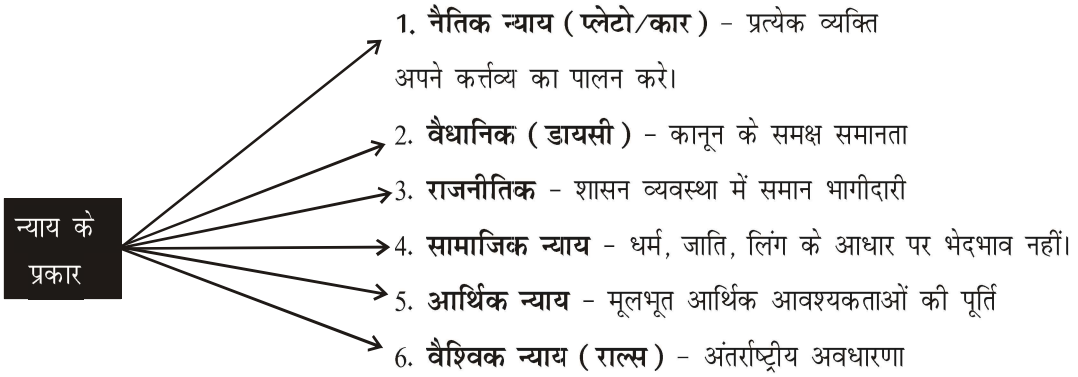

न्याय के युग्म

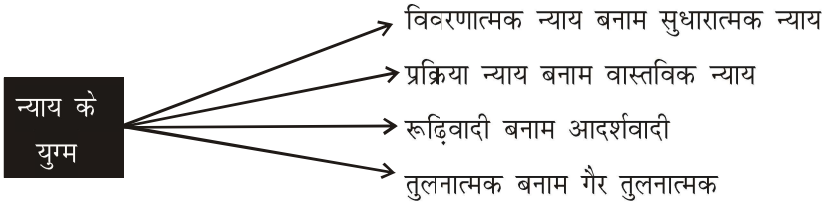

न्याय के विभिन्न आयाम

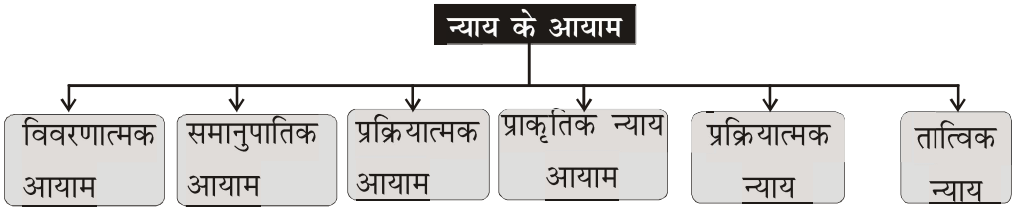

(i) विवरणात्मक न्याय:

- इसके अन्तर्गत पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्पदा, गरिमा आदि का वितरण आता है, सामाजिक व आर्थिक संसाधनों का वितरण।
- इस न्याय का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तू द्वारा किया गया।
- अरस्तू के वितरणात्मक न्याय का अर्थ है राज्य व्यक्ति की योग्यता के अनुसार संसाधन वितरण करे। ज्यादा योग्य (ज्यादा क्षमता) ज्यादा संसाधन ।

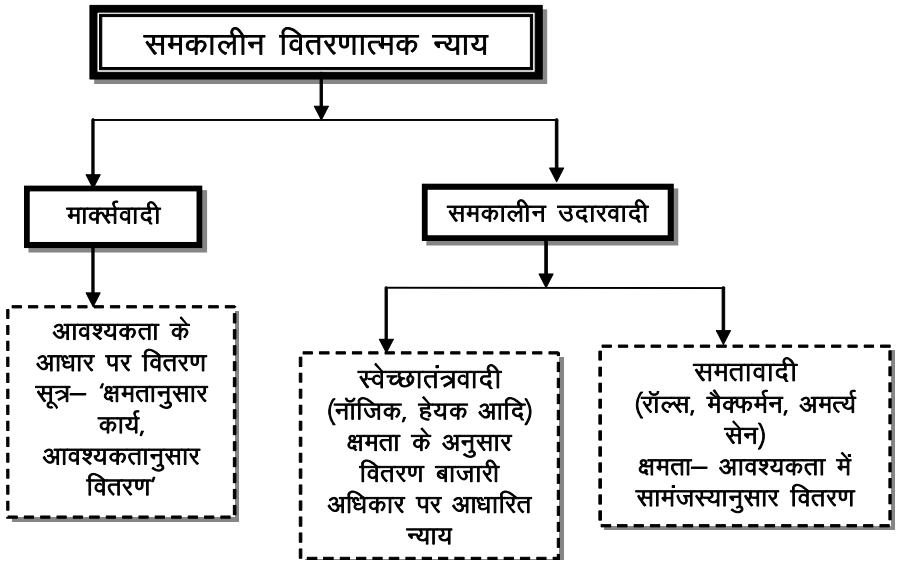

- मार्क्सवादी दार्शनिक जी. ए. कोहेन वितरणात्मक न्याय के लिए 'On The Currency of Eglitation Justice' शब्दावली का प्रयोग करते हैं।

(ii) समानुपातिकीद्य आनुपातिक न्याय- सर्वप्रथम अरस्तू द्वारा वर्णित।

➢ **सूत्र:**

- समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। अर्थात्
- योग्यता, क्षमता के अनुपात में पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्पदा का वितरण।

➢ **अरस्तू के अनुसार :** योग्यता का मापदण्ड 'सद्गुण' है।

➢ **अरस्तू :** न्याय वह सम्पूर्ण सद्गुण है, जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते है।

(iii) प्रक्रियात्मक न्याय:

- इसमें वैधानिक (कानूनी) व राजनीतिक न्याय आते है।
- यह औपचारिक न्याय है, जिसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं।
- मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, पदों, सम्पदा आदि के आवंटनीद्य वितरण की प्रक्रिया या विधि निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रक्रिया पर बल, परिणाम पर नहीं ।
- प्रक्रियात्मक न्याय में '**संसाधन वितरण**' का एक मात्र आधार है – क्षमता योग्यता
- जो ज्यादा योग्य होगा उसे ज्यादा संसाधन मिलेगें, कम योग्य को कम संसाधन मिलेगें।

➢ **समर्थक**- परम्परागत उदारवादी (लॉक, स्पेन्सर, एड्म स्मिथ) व स्वेच्छातंत्रवादी (नॉजिक, हेयक, बर्लिन, फ्रीडमेन)

(iv) प्राकृतिक न्याय :

- प्राकृतिक न्याय में वे नियम व मान्यताएँ आती है, जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है तथा जिनका पता व्यक्ति अपने विवेक से कर सकता है। हो सकता है उनका वर्णन संविधान या विधि में न हो।

☞ **उदाहरण:**

1. कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा।
2. किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दण्डित नहीं किया जायेगा अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होगा।
3. दण्ड तार्किक व उचित होना चाहिए, मनमाना नहीं।

भारत का संवैधानिक विकास

संविधान

✦ **Constitution मुख्यत:** लैटिन शब्द Constituto से बना है, जिसका अर्थ है 'महत्वपूर्ण विधि'। संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह संग्रह है, जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। 1787 ई. में बने अमेरिका संविधान को आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान माना गया है।

भारत का संवैधानिक विकास

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1773-1853)	ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1858-1947)

1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट
(Regulating Act, 1773)

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- यह पहला अंग्रेजी कानून हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड नार्थ द्वारा 21 जून, 1773 को पारित किया गया।

✦ **1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के प्रावधान-**

1. गवर्नर जरनल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया।

(i) गर्वनर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया जिसे भारत में समस्त अंग्रेजी राज्य का गवर्नर बना दिया गया।

(ii) वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया।

2. गवर्नर जनरल की सहायता हेतु परिषद् (काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल)

(i) गवर्नर जनरल की सहायता हेतु चार सदस्यीय परिषद की व्यवस्था की गई।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- इन चार सदस्यों के नाम थे- बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस व मॉन्सन।

(ii) गवर्नर जनरल परिषद द्वारा बहुमत के आधार पर दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने लिए बाध्य था।

(iii) परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया।

(iv) ब्रिटिश सम्राट द्वारा इन सदस्यों को समय से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता था।

3. बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को बंगाल के गर्वनर जनरल के अधीन करना।

(i) बम्बई तथा मद्रास प्रान्तों को गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया।

(ii) इन प्रांतों के गर्वनर जनरल ऑफ बंगाल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा के साथ कोई युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे।

(iii) हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में इन दोनों प्रांतों के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना भी कार्य कर सकते थे।

4. कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना

(i) 1774 में फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में 'एपेक्स न्यायलय' के रूप में उच्चतम न्यायलय की स्थापना की गई।

(ii) सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीशों से बनाया गया।

(iii) बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इस सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया। अर्थात् बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की समस्त ब्रिटिश जनता को इस कोर्ट के अधीन कर दिया गया।

(iv) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सम्राट की इच्छा पर निर्भर था।

(v) कलकत्ता उच्च न्यायलय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, त्रुटि विषयक रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी।

☞ **क्या आप जानते है?**

- कोलकाता उच्चतम न्यायलय का गठन 26 जुलाई, 1774 में किया गया।
- सर एलीजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे।
- रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीसर लिमैस्टर तथा जॉन हाइड तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

5. गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति।

(i) इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को नियम बनाने तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई

(ii) परन्तु इन नियमों एवं अध्यादेशों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकृत किया जाना आवश्यक था, उसके बाद ही ये मान्य होंगे।

मॉर्ले मिन्टो सुधार अधिनियम 1909
(Indian Council Act, 1909)

☞ **क्या आप जानते है?**

- इस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैण्ड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिन्टो भारत में वायरसराय थे।
- लॉर्ड मिंटो को साम्प्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है।
- इस अधिनियम को 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है।
- इस अधिनियम में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया।
- इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गर्वनर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिशन बनाने का प्रावधान किया गया।
- सत्येन्द्र प्रसाद सिंहा वायरसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने।
- इस अधिनियम के तहत विधानपरिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर 69 कर दी जिसको इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है-

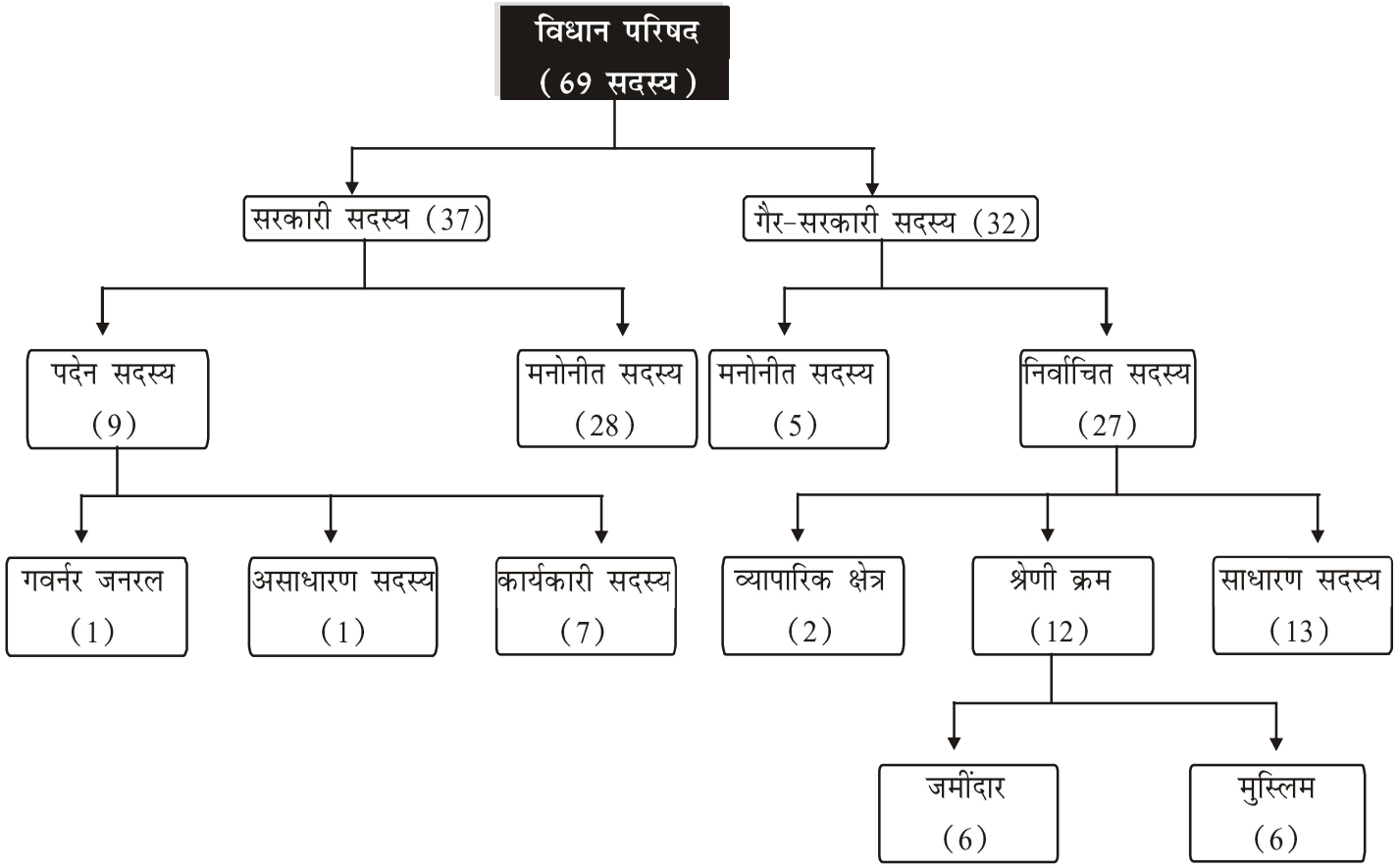

✦ **मॉर्ले-मिंटो सुधारों के लिए एनसीआईआरटी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं-**

(i) केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों विधायिकाओं के आकार में वृद्धि की गई।

(ii) केन्द्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।

(iii) प्रांतीय विधान परिषदों में कुल सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी और यह एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्न-भिन्न थी।

➢ इस अधिनियम में विधानपरिषद के सदस्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया है-
1. पदेन सदस्य 2. नामांकित सरकारी सदस्य
3. नामांकित गैर सरकारी सदस्य 4. निर्वाचित सदस्य

(iv) केंद्रीय विधान परिषद के अधिकांश सदस्य आधिकारिक सदस्य थे। केन्द्रीय विधान परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती थी। सर्दियों में कलकत्ता तथा गर्मियों में शिमला में बैठकें होती थी।

(v) प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में थे।

संविधान परिचय

☞ **क्या आप जानते हैं?**
संविधानों का जनक **इंग्लैण्ड** को कहा जाता है। लेकिन लिखित संविधानों का जनक **अमेरिका** को कहा जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से इंग्लैण्ड का संविधान परंपराओं पर आधारित है। जिन्हें **अभिसमय** कहा जाता है।

✦ संविधान क्या है?

- लिखित तथा अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश का शासन चलता हो। उसे संविधान कहते हैं।
  जैसे - भारत का संविधान लिखित
  ब्रिटेन का संविधान अलिखित

✦ संविधान का परिचय

- संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग **ब्रिटिश नागरिक हेनरी मेन** ने किया। जबकि भारत में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग **बाल गंगाधर तिलक** ने किया।
- विश्व में सर्वप्रथम 1789 में अमेरिका देश में संविधान लागू हुआ।

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- अमेरिका देश **4 जुलाई 1776** में स्वतंत्र हुआ और इसका संविधान **1787** में बनकर तैयार हुआ।
- अमेरिका के संविधान का **जनक जार्ज वांशिंगटन** है।
- भारतीय संविधान का जनक **डॉ. भीमराव अंबेडकर** है।
- विश्व में दूसरा देश **फ्रांस** जहां **1793** में संविधान लागू हुआ।

भारतीय संविधान की रूपरेखा

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- भारतीय शासन अधिनियम, 1919 की उद्देशिका में यह निहित था कि भारतीय संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का था।

- भारत में **सर्वप्रथम** संविधान सभा की मांग **1895** में **बाल गंगाधर तिलक** ने **'स्वराज्य विधेयक'** तहत की।
- **1922** में **महात्मा गांधी** ने संविधान सभा की मांग की और कहा कि भारत में संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। (हरिजन पत्रिका में)

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- 1922 में शिमला में ब्रिटिश सरकार के अधीन संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन हुआ जिसमें एनी बेसेन्ट ने संबोधन करते हुए कहा कि संविधान बनाने के लिए अलग से एक अधिवेशन बुलाया जाए इसलिए 1923 में दिल्ली में इसका अधिवेशन बुलाया गया था।

- 1923 में तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें कॉमन वेल्थ विधेयक को तैयार करने का निर्णय लिया गया। जिसमें संविधान सभा की भी चर्चा थी। इस विधेयक को 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको इंग्लैण्ड भेजा।
- 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों से संविधान सभा की मांग की।

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- यह मांग नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत रखी गयी थी जिसमें नेहरू के अलावा 9 सदस्य और थे।

- **1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन** में भी संविधान की चर्चा की गई जिसमें पं. जवाहरलाल नेहरू भाषण में कहा कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वराज्य दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस या स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था।
- 1934 में वामपंथी दल के प्रमुख ***MN Roy*** ने व्यक्तित्व रूप से संविधान सभा की मांग की। ऐसी मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की और कहा संविधान सभा का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए।
- 1937 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग फैजपुर अधिवेशन में की। (फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था जो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ।)

संविधान निर्माण के प्रयास

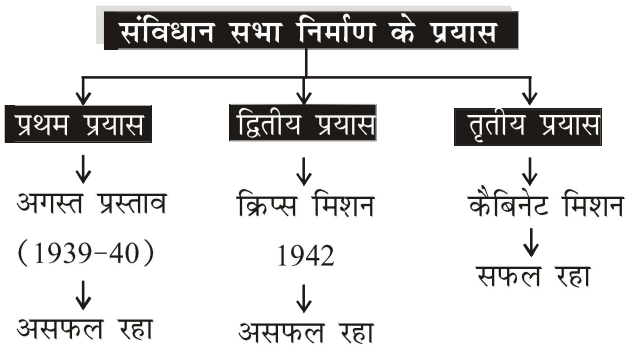

- संविधान सभा के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1939-40 में अगस्त प्रस्ताव को भारत भेजा लेकिन यह असफल रहा।

☞ **क्या आप जानते है?**

- वेवल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष पं. नेहरू को आंतरिक सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया।
- 24 अगस्त 1946 को पं. नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गयी।
- Fact: तीन गैर मुस्लिम लीग सदस्य थे तथा मुस्लिम लीग अपने पाँच मनोनित सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके।

☞ **क्या आप जानते है?**

- मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में 7 सदस्यों का भेजने का निर्णय लिया था जबकि कांग्रेस ने 6 सदस्य भेजने पर सहमति थी। इसलिए मुस्लिम लीग शुरू में इसमें शामिल नहीं हुआ। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी जिसमें सदस्य संख्या 13 से बढ़कर 15 लो गई।

संविधान सभा (1946) में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	समुदाय	शक्ति
1.	हिन्दू	163
2.	मुस्लिम	80
3.	अनुसूचित जाति	31
4.	भारतीय ईसाई	6
5.	पिछड़ी जनजातियाँ	6
6.	सिख	4
7.	एंग्लो इंडियन	3
8.	पारसी	3
		296

संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम (जुलाई–अगस्त 1946)

क्र.सं.	दल का नाम	सीटें जीती
1.	कांग्रेस	208
2.	मुस्लिम लीग	73
3.	यूनियनिस्ट पार्टी	1
4.	यूनियनिस्ट मुस्लिम्स	1
5.	यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स	1
6.	कृषक प्रजा पार्टी	1
7.	शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन	1
8.	सिख (नॉन कांग्रेस)	1
9.	कम्युनिस्ट पार्टी	1
10.	इंडिपेंडेंट्स (स्वतंत्र/निर्दलीय)	8
	कुल	**296**

संविधान सभा के अधिवेशन

अधिवेशन	खण्ड	अवधि	बैठक
पहला	खण्ड–I	19 दिसम्बर, 1946– 23 दिसम्बर, 1946	11
दूसरा	खण्ड–II	20 जनवरी, 1947– 25 जनवरी, 1947	05
तीसरा	खण्ड–III	28 अप्रैल, 1947– 02 मई, 1947	05
चौथा	खण्ड–IV	14 जुलाई, 1947– 31 जुलाई, 1947	14
पाँचवाँ	खण्ड–V	14 अगस्त, 1947– 30 अगस्त, 1947	11
छठा	खण्ड–VI	27 जनवरी, 1948	01
सातवाँ	खण्ड–VII	4 नवम्बर, 1948– 08 जनवरी, 1946	36
आठवाँ	खण्ड–VIII	16 मई, 1949– 16 जून 1949	23
नवाँ	खण्ड–IX	30 जुलाई, 1949– 18 सितम्बर, 1940	38
दसवाँ	खण्ड–X	06 अक्टूबर, 1949– 17 अक्टूबर, 1949	10
ग्यारहवाँ	खण्ड–XI	14 नवम्बर, 1949– 26 नवम्बर, 1949	12
बारहवाँ	खण्ड–XII	24 जनवरी, 1950	01

संविधान सभा की बैठकें

☞ **क्या आप जानते है?**

- 167 = कुल संविधान की बैठकें हुई।
- 166 = बैठकों में संविधान को लेकर बहस हुई।
- 114 बैठकों में संविधान को लेकर चर्चा हुई।
- 6 संविधान की प्रमुख बैठकें मानी जाती है जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है-

✦ **संविधान की पहली बैठक:**

- 9 दिसम्बर, 1946 को आयोजित हुई। (सोमवार 12 PM बजे)
- इस बैठक का आयोजन दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ जिसको संविधान कक्ष नाम दिया गया।
- बैठक में 207 सदस्य थे। जिनमें 10 महिलाएं थी।

☞ **क्या आप जानते है?**

- इस संविधान सभा बैठक में राजस्थान से मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने भाग लिया।
- इस बैठक में मद्रास से सर्वाधिक सदस्य थे।
- इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया।
- इस बैठक में प्रसन्द देव रैकट नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसलिए इस दिन शोक सभा भी रखी गई।
- इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष (सभापति) सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और उपाध्यक्ष (उपसभापति) फ्रेन्क एन्थोनी।

✦ संविधान सभा की दूसरी बैठक:

- इस बैठक का आयोजन 10 दिसम्बर 1946 को हुआ।
- इस बैठक स्थायी अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हुई। जैसे- स्थायी सभापति के चुनाव की विधि का निर्धारण, कार्य संचालन नियम निर्माण समिति (नियम समिति) जो संविधान सभा की पहली समिति थी, के सभापति और सदस्यों के मनोनयन की विज्ञप्ति जारी की गई।

✦ संविधान सभा की तीसरी बैठक:

- इस बैठक का आयोजन 11 दिसम्बर 1946 को हुआ।
- इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया। अध्यक्ष का सुझाव आचार्य कृपानी ने दिया। जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।

➢ इस बैठक में उपाध्यक्ष दो व्यक्तियों को बनाया गया
1. एच. सी. मुखर्जी 2. टी.टी. कृष्णामाचारी

- इस बैठक में संविधान सलाहकार बी.एन. राव (बेनेगल नरसिम्हन राव) को बनाया गया।

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला प्रवक्ता कहा जाता है।
- आचार्य कृपलानी को संविधान सभा पहला वक्ता कहा जाता है।

✦ संविधान सभा की चौथी बैठक:

- यह बैठक 12 दिसम्बर 1946 को हुई।
- इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित होना वाला था लेकिन किसी कारणवश पारित नहीं हो पाया।

✦ संविधान सभा की पांचवी बैठक:

- यह बैठक 13 दिसम्बर 1946 को हुई। इस बैठक में पं. जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया। जो प्रस्तावना से संबंधित था।
- उद्देशिका प्रस्ताव का समर्थन पुरूषोत्तम दास टंडन ने किया। जबकि इसका विरोध डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किया।
- संविधान सभा के सचिव H.V.R आयंगर थे।
- नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 12 जनवरी, 1947 को ही मोहनलाल सक्सेना ने इसमें उर्दू अनुवाद को संविधान सभा पढ़ा।

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- पं. जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था वह 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जिसमें 8 नियम थे।

✦ संविधान सभा की छठवीं बैठक:

- यह बैठक **24 जनवरी 1950** को हुई।
  इस बैठक के दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के प्रथम कृषि व खाद्य मंत्री भी रह चुके थे।
- विभाजन के बाद पहली बैठक 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1947 को हुई। जिसमें 289 सदस्यों ने भाग लिया।

संविधान के वाचन

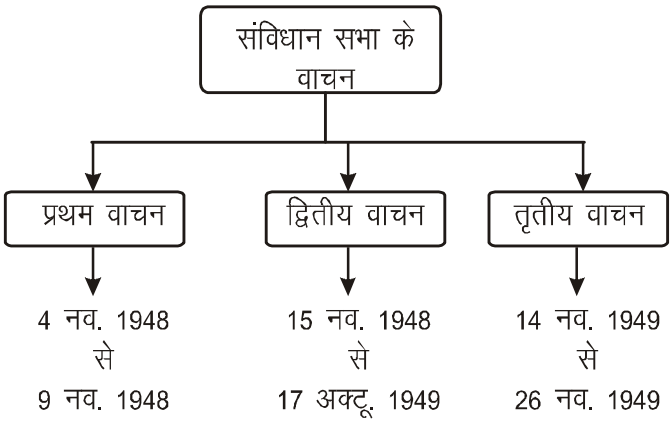

➢ प्रथम वाचन:

- समय - 4 नवम्बर 1948 - 9 नवम्बर 1948
- सबसे छोटा वाचन
- प्रथम वाचक डॉ. राधाकृष्ण
- पहली बार संविधान को पढ़कर सुनाया गया।
- संविधान को लेकर सामान्य चर्चा की गई।

➢ द्वितीय वाचन :

- समय 15 नवम्बर 1948 - 17 अक्टूबर 1949
- इस वाचन में प्रत्येक खण्ड व उपखण्ड पर व्यापक चर्चा की गयी।
- कुल संशोधन - 7635 (कुल) 2473 पर विचार रखा गया।

➢ तृतीय वाचन

- समय - 14 नव. 1949 - 26 नव. 1946
- आत्मर्पित, अधिनिमित एवं अंगीकृत किया गया।
- मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी।
- 26 नव. को विधि दिवस मनाया जाता है।
- अंतिम वाचन में 15 अनुच्छेद को लागू किया गया।

संविधान की विशेषताएँ

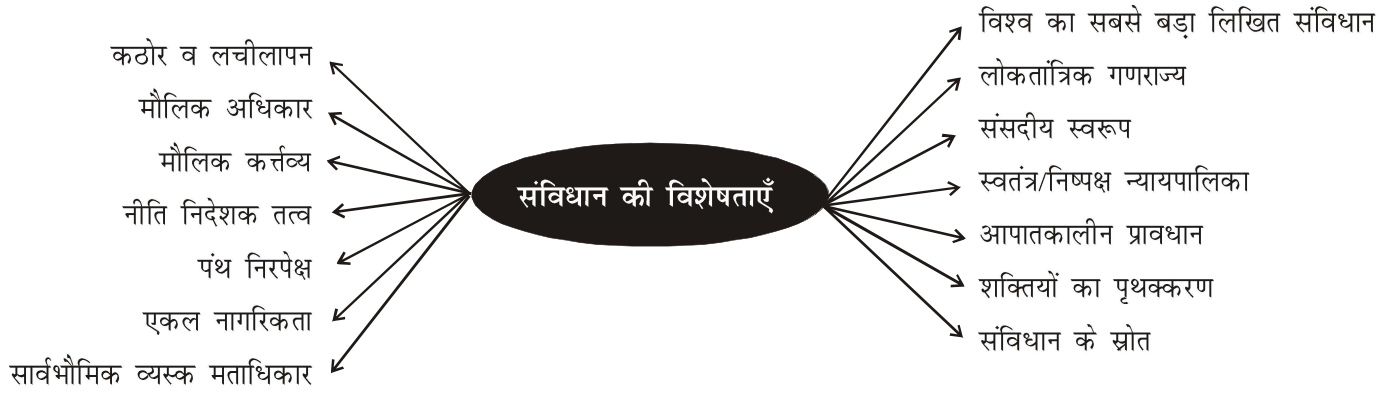

विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान

- भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके साथ ही साथ यह विश्व के सभी देशों के संविधान की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है।

☞ **क्या आप जानते है ?**

- मूल संविधान में **395 अनुच्छेद** एवं **8 अनुसूचियां** सम्मिलित थी, जिनमें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कई परिवर्तन किये गये हैं। **वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ** है।

कठोर व लचीला संविधान

- भारतीय संविधान विशुद्ध रूप से न तो कठोर या अनम्य है और न ही नम्य या लचीला है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है।
- संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- हालांकि कुछ प्रावधानों में संशोधन तभी किया जा सकता है, जब इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है।
- **पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार,** ''यद्यपि हम संविधान को इतना दृढ़ और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। संविधान में कुछ लचीलापन होना चाहिए।

संसदनात्मक शासन व्यवस्था

- भारत ने ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई **वेस्टमिंस्टर प्रणाली** को अपनाया है। यह सरकार की एक **लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली** है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में केवल तक तक बनी रहती है जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है।
- भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से ही किया जाता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। **केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी** होती है। यदि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् सदन में विश्वास खो देती है, तो यह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है।
- राष्ट्रपति जो नाममात्र का कार्यकारी होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात् वास्तविक कार्यपालिका की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यों में भी सरकार संसदीय प्रकृति की होती है।

✦ संसदीय संप्रभुता एवं भारतीय संसद की स्थिति

- संसदीय संप्रभुता को संसदीय सर्वोच्चता या विधायी सर्वोच्चता के रूप में भी जाना जाता है। यह संसद को सर्वोच्च कानून निर्मात्री निकाय बनाती है, जो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है या नया कानून बना सकती है। तात्पर्य यह है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती है जिसे भविष्य में स्वयं संसद द्वारा संशोधित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका कानून को खारिज नहीं कर सकती है अर्थात् संसद द्वारा पारित किसी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है।

✦ निम्नलिखित सिद्धांत संसदीय संप्रभुता के विपरीत हैं-

- संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत।
- शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (यह अधिकांशत: सामान्य कानून बनाने के लिए विधायिका के कार्य क्षेत्र को सीमित करता है)।

समाजवादी राज्य

- भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवाद है जिसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना। समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया।

अल्संख्यकों के हितों की रक्षा

- संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने व शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार का उल्लेख है।

त्रिस्तरीय प्रणाली (विकेन्द्रीत प्रणाली)

- 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों (पंचायतीराज व नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है।

संविधान की प्रस्तावना

- इसमें जनता की भावनाएँ और आकांक्षाएँ मुख्य रूप से समाविष्ट है। 'अर्नेस्ट बाकर' के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुँजी है।

भारतीय संविधान की आलोचना

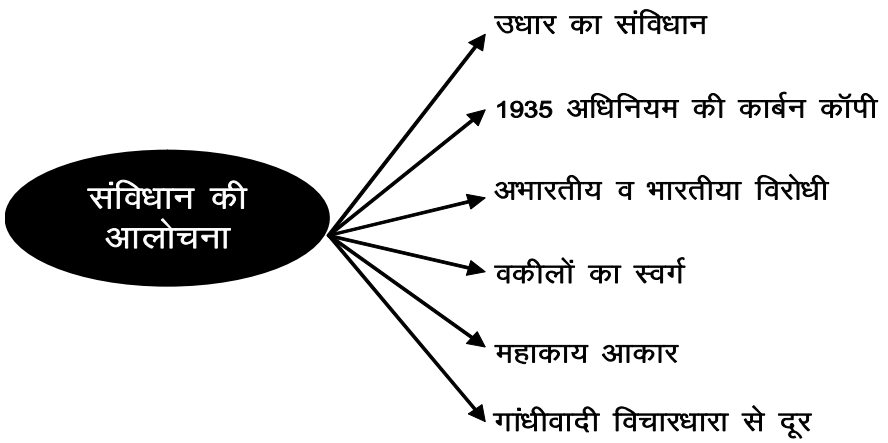

- **ग्रेनविल आस्टिन** के अनुसार, 'भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा।'
- **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** के अनुसार, 'संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते है, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है।'
- **ग्रेनविल आस्टिन** के अनुसार, 'संविधान सभा अनिवार्यत: एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था।'
- **लॉर्ड विसकाउंट** के अनुसार, 'संविधान सभा को हिन्दुओं की सभा की संज्ञा।'
- **विंस्टन चर्चिल** के अनुसार, 'संविधान सभा को केवल एक बड़े समुदाय (जाति) की संस्था की संज्ञा।'
- **पॉल ब्रास** के अनुसार, 'भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संस्था की संज्ञा।'
- **जवाहरलाल नेहरू** के अनुसार, 'भारत का संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा।'
- **नाना पालकीवाला** के अनुसार, 'हम प्रथम श्रेणी के संविधान से तृतीय श्रेणी के प्रजातंत्र का संचालन कर रहे है।'
- **के.वी. राव** के अनुसार, 'अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधाान की जननी कहना चाहिए।'
- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर** के अनुसार, 'यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे की मनुष्य दुष्ट था।'
- **आइवर जेनिंस** भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा।
- **जवाहरलाल नेहरू** के अनुसार, 'जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में कहा था कि, 'हम जबकि चाहते है यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते है, फिर भी, संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता है। यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते है, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवत लोगों के विकास को रोक देते हैं।'
- **आइवर जेनिंग्स** के अनुसार, 'भारत का संविधाान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है।'

संविधान के भाग

❑ भाग 1
- संघ राज्य का उल्लेख (अनु. 1 से 4 तक)

❑ भाग 2
- नागरिकता (अनु 5 से 11 तक)

❑ भाग 3
- मौलिक अधिकार (12 से 35 तक)

❑ भाग 4
- राज्य के निति निदेशक तत्व (36 से 51 तक)

❑ भाग 5
- मौलिक कर्त्तव्य (अनु 52 से 191 तक)

❑ भाग 6
- राज्य सरकार का उल्लेख (अनु. 152 - 232)

❑ भाग 7
- इस भाग में किसी भी कानून को निरस्त करने का अधिकार होता है।

❑ भाग 8
- केन्द्रशासित राज्यों उल्लेख (अनु. 239 से 242)

❑ भाग 9
- पंचायतीराज का उल्लेख (अनु 243 ***(A)*** - 243 ***(O)*** **भाग 9 (*A*)**
- नगरीय शासन का उल्लेख (अनु ***243 (P)*** से ***243 (ZG)***

❑ भाग 10
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रावधान (243 व 244 ***A)***

❑ भाग 11
- इस भाग में केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों का उल्लेख है। अनु. 245 - 263

❑ भाग 12
- केन्द्र व राज्य के मध्य वित्तीय सम्बन्ध (अनु 246 - 300 (क)

❑ भाग 13
- इस भाग में राज्यों के मध्य व्यापार व वाणिज्य का उल्लेख मिलता है (अनु. 301 - 307 तक)

❑ भाग 14
- इस भाग में ***UPSC*** व ***PSC*** का उल्लेख मिलता है। (अनु. 308 - 323 तक)

❑ भाग 14 *A*
- अधिकरण ***[***अनु. 323 ***(A)*** व 323 ***(B)]***

❑ भाग 15
- निर्वाचन आयोग ***[***अनु. 324 से 329 तक***]***

❑ भाग 16
- उच्च वर्गों के लिए विशेष उपबंध ***[***अनु. 330 से 342 तक***]***

❑ भाग 17
- इस भाग में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। ***[***अनु. 343 से 351 तक***]***

❑ भाग 18

आपातकालीन ***[***अनु. 352 से 360 तक***]***

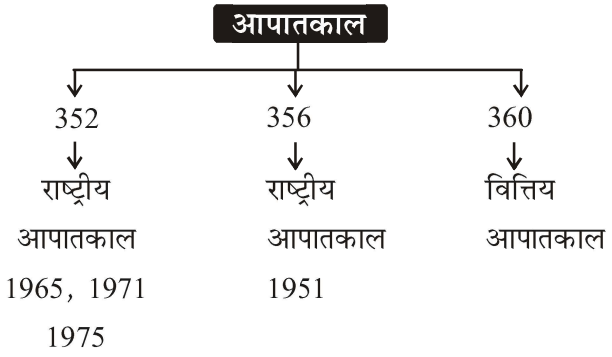

❑ भाग 19
- प्रकीर्ण (361 से 367)

❑ भाग 20
- संविधान संशोधन (अनु. 368 से)

❑ भाग 21
- विशेष प्रावधान किसी भी व्यवस्था को लेकर (अनु. 369 से 392)

❑ भाग 22
- संक्षिप्त नाम कार्य क्षेत्र और विकास (अनु. 393-395)

संविधान के भाग व अनुच्छेद		
भाग	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
I	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व	36 से 51
IVए	मौलिक कर्त्तव्य	51–क
V	संघ सरकार	52 से 151
	अध्याय– I– कार्यपालिका	52 से 78
	अध्याय– II– संसद	79 से 122
	अध्याय– III– राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ	123
	अध्याय– IV– संघ की न्यायपालिका	124 से 147
	अध्याय– V– भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	148 से 151
VI	राज्य सरकारें	152
	अध्याय– I– साधारण	152 से 237
	अध्याय– II– कार्यपालिका	153 से 167
	अध्याय– III– राज्य का विधानमंडल	168 से 212
	अध्याय– IV– राज्यपाल की विधायी (अध्यायदेश जारी करना) शक्तियाँ	213
	अध्याय– V– राज्यों के उच्च न्यायालय	214 से 232
	अध्याय– VI– अधीनस्थ न्यायालय	233 से 237
VII	राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड–ख (निरस्त)	238 निरस्त
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 ये 243–O
XIक	नगरपालिकाएँ	243–P से 243–ZG
XIख	सहकारी समितियाँ	243–ZH से 243–ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244–क
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
	अध्याय– I– विधायी संबंध	245 से 255
	अध्याय– II– प्रशासनिक संबंध	256 से 263

संविधान के भाग व अनुच्छेद		
भाग	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद	264 से 300–ए
	अध्याय– I– वित्त	264 से 291
	अध्याय– II– ऋण लेना	292 से 293
	अध्याय– III– संपत्ति, संविदायें, अधिकार और वाद	294 से 300
	अध्याय– IV– संपत्ति का अधिकार	300–क
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
	अध्याय– I– सेवायें	308 से 314
	अध्याय– II– लोक सेवा आयोग	315 से 323
XIVक	अधिकरण	323–क से 323–ख
XV	निर्वाचन	324 से 329–क
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान	330 से 342
XVII	राजभाषा	343 से 351
	अध्याय– I– संघ की भाषा	343 से 344
	अध्याय– II– प्रादेशिक भाषाएँ	345 से 347
	अध्याय– III– सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा	348 से 349
	अध्याय– IV– विशेष निदेश	350 से 351
XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395

मौलिक अधिकार

अधिकार क्या है?

- अधिकार वह मांग है जो समय के द्वारा मांगी जाती है और राज्य के द्वारा प्रधान की जाती है।

☞ **क्या आप जानते है?**
- मूल अधिकार संविधान द्वारा परिभाषित नहीं है।
- मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान ब्रिटिश भारत में 1928 की नेहरू रिपोर्ट में किया गया।
- कांग्रेस ने 1931 के करांची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भविष्य के भारत के नागरिकों को 8 मूल अधिकार देने का संकल्प लिया।

मौलिक अधिकार क्या है?

- मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रधान किये जाते हैं।
- मौलिक अधिकार वाद योग्य है। (न्यायालय द्वारा लागू करवाये जा सकते है)

मौलिक अधिकार
- भाग → 3 (भारत का मैग्नाकार्टा)
- अनुच्छेद → 12 - 35
- किस देश से लिया गया → अमेरिका
- मूल संविधान → 07
- वर्तमान में → 06

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- मूल अधिकार अमेरिका के 1791 के अधिकार पत्र से प्रेरित है।
- पं. नेहरू ने **भाग 3** को संविधान की आत्मा कहा।

अधिकारों का विकास क्रमः

अधिकारों का विकास क्रम
1. नागरिक अधिकार
2. राजनीतिक अधिकार
3. सामाजिक/आर्थिक अधिकार
4. मानवाधिकार

मूल अधिकारों की प्रकृति

मूल अधिकार
- सकारात्मक → ऐसे अधिकार जो राज्य की शक्ति पर निर्बन्ध लगाते है। → उदाहरणः अनु. 14/15/16/20/21
- नकारात्मक → ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था है → उदाहरणः अनु. 21(A), 25 29(i), 30(i)

मौलिक अधिकार की विशेषताएं

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं
- मौलिक अधिकार सीमित है
- मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं
- मूल अधिकार आपातकाल में निलम्बन
- मूल अधिकार स्थायी नहीं
- मूल अधिकार सकारात्मक नकारात्मक है
- मूल अधिकार प्राकृतिक व अगणित नहीं

मौलिक अधिकार
- ऐसे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है → उदाहरणः अनु. 15/16/19/29/30
- ऐसे अधिकार जो विदेशी नागरिकों के लिए है। → उदाहरणः अनु. 19/20/21/22/23/24 /25/26/27/28

☞ **क्या आप जानते है?**
- विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस देश में मौलिक अधिकारों को लागू किया गया।
- मौलिक अधिकार निरपेक्ष होते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है लेकिन अनु. 23 व 17 निरपेक्ष अधिकार है।
- मौलिक अधिकारों को विधि की आवश्यकता नहीं होती है जिनमें से कुछ इस प्रकार है–
  अनु. 14, अनु. 19, अनु. 21

नीति–निदेशक तत्त्व

नीति–निदेशक तत्त्वों के अनुच्छेद	
अनुच्छेद	**विषय–वस्तु**
36	राज्य की परिभाषा
37	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना।
38	राज्य द्वारा जन–कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना
39	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति–सिद्धांत
39A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता
40	ग्राम पंचायतों का संगठन
41	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता
42	न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान
43	कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि
43 A	उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता
43 B	सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
44	नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
45	बाल्यावस्था पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
46	अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
47	पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्त्तव्य
48	कृषि एवं पशुपालन का संगठन
48 A	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा
49	स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
50	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन

➢ **नीति निदेशक तत्व (भाग 4 अनुच्छेद 36-51)**

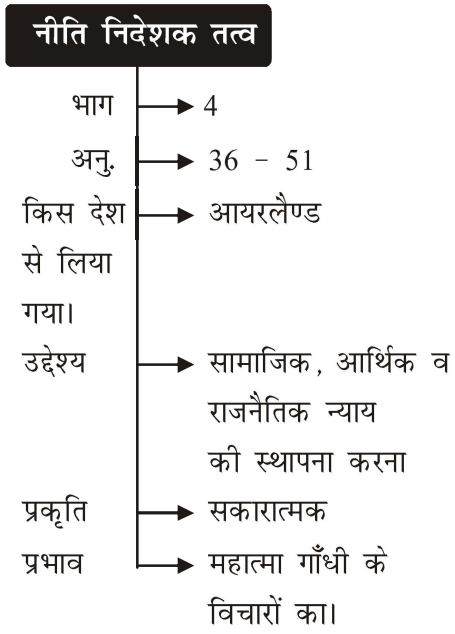

- भारतीय संविधान में राज्यो को ये सुनिश्चित किया गया है कि वह राज्य के विकास के लिए लोककल्याणकारी नीतियां बना सकता है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है।
- नीति निदेशक तत्व की सर्वप्रथम अवधारणा ***T.H.*** ग्रीव नामक विज्ञान ने दी थी।
- 1935 के अधिनियम में 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ इन्स्ट्रेकशन' (अनुदेश प्रपत्र) था, यही आगे जाकर नीति निर्देशक तत्व बना।
- तेज बहादुर सप्रु समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं।

✦ **नीति निदेशक तत्त्व से संबंधित विद्वानों के विचार:**

✍ **डॉ. अम्बेडकर** के अनुसार, 'नीति निदेशक तत्वों को 'भारत का सामाजिक व आर्थिक घोषणा पत्र' कहा है। 'ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएँ हैं। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है।'

✍ **डॉ. अम्बेडकर** के अनुसार, 'यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो अगले चुनाव में उसे कारण बतना होगा।'

✍ **बी.एन. राव** के अनुसार, 'व्यक्ति के दो प्रकार के अधि कार है- 1. न्यायोचित अधिकार - मूल अधिकार 2. गैर न्यायोचित अधिकार - नीति निर्देशक तत्व'

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना व मिड डे मिल जैसी योजनाएं प्रारम्भ की गई है।

✦ अनु. 48 : कृषि व पशुपालन संगठन का उपबंध

- राज्य, कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण व वैज्ञानिकरण करेगा, गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू व वाहक पशुओं का वध रोकेगा तथा इनका नस्ल सुधार करेगा ।
- **अनुच्छेद 48 (A)** - पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा (42वां संशोधान 1976 द्वारा जोड़ा गया।)
- गोहत्या का मुदा तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Ttibunal & NGT) पूर्व अध्यक्ष - न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार आदि इसी से सम्बन्धित ।
- पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम- 1972

✦ अनु. 49 : राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

- संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक (Monuments) या स्थान या वस्तु का, संरक्षण करना राज्य की बाध्यता (Obligation of the State) होगी।

✦ अनु. 50- कार्यपालिका का न्यापालिका से पृथक्करण।

✦ अनु. 51 : अन्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि।

- **अनु. 51 (क) :** अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा।
- **अनु. 51 (ख) :** दूसरे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देना।
- **अनु. 51 (ग) :** अंतर्राष्ट्रीय विधि, संधि, समझौते के प्रति आदर भाव रखना।
- **अनु. 51 (घ) :** अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाना।

☞ **क्या आप जानते है?**

- अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का उल्लेख मिलता है।

गांधीवादी से संबंधित निदेशक तत्व

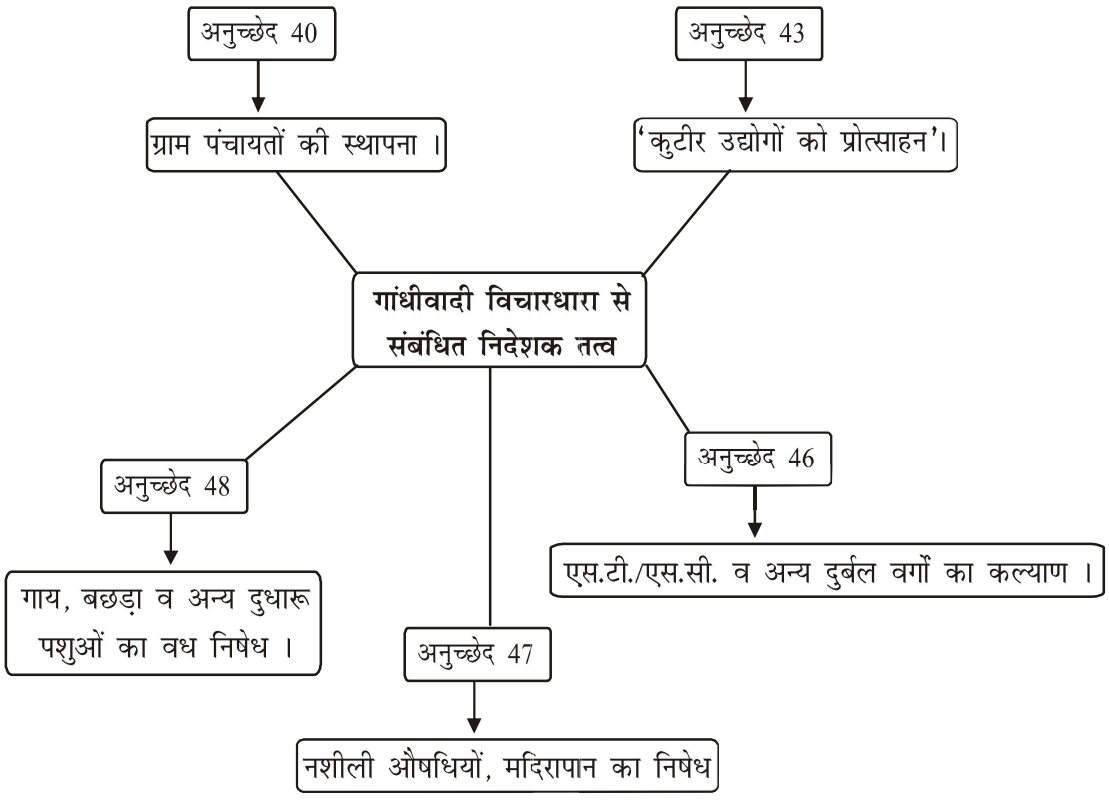

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

➢ भारत में संघ (केन्द्र) और राज्यों के सम्बन्धों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

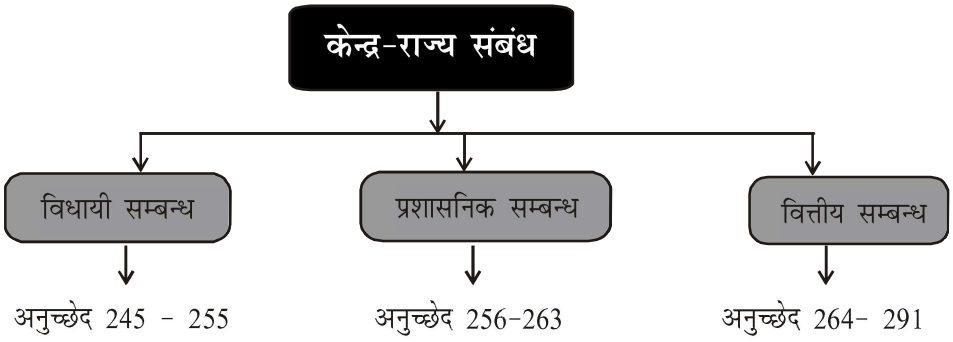

(1) विधायी सम्बन्ध:

- संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केन्द्र तथा राज्यों के विधायी सम्बन्धों से सम्बन्धित है। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों का दो श्रेणी में विभाजन करता

(i) विधान: विस्तार की दृष्टि से

(ii) विधान : विषय वस्तु की दृष्टि से

➢ **विधान : विस्तार की दृष्टि से अनुच्छेद 245** यह उपबन्ति करता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधान मण्डल उस सम्पूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।

➢ **विधान : विषयवस्तु की दृष्टि से अनुच्छेद 246** में विधायी शक्ति का केन्द्र तथा राज्यों में तीन सूचियों के माध्यम से विभाजन किया गया है जिनका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची में किया गया है।

(i) संघ सूची (ii) राज्य सूची (iii) समवर्ती सूची

(i) संघ सूची: संघ सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जो राष्ट्रीय महत्त्व के हैं तथा जिन पर विधि बनाने की शक्ति अनन्य रूप से संघीय संसद को है। इस सूची में मूलत: 97 प्रविष्टियाँ थीं जबकि वर्तमान में 101वाँ संशोधन के बाद 98 प्रविष्टियों का उल्लेख हैं। संघ सूची में विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। इसमें राष्ट्रीय महत्त्व के विषय होते हैं जैसे रक्षा, विदेश सम्बन्ध, युद्ध व संधि, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, रेल, डाक- तार, नागरिकता, टेलीफोन, जनगणना, बीमा, खानें व खनिज, मुद्रा, विनिमय-पत्र, सीमा शुल्क, कृषि आय, निगम कर से भिन्न आय पर कर आदि।

(ii) राज्य सूची: राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्त्व के विषय आते हैं जिन पर कानून निर्माण की शक्ति राज्य विधानमण्डल को है। राज्य सूची में मूलत: 66 प्रविष्टियाँ थीं, परन्तु 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को (शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन) समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। 101 वाँ संविधान संशोधन, 2016 द्वारा 2 और प्रविष्ठियों का लोप कर दिया गया। वर्तमान में 59 प्रविष्टियों में विभिन्न विषयों का उल्लेख है। राज्य सूची में स्थानीय महत्त्व के विषय आते हैं जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस, न्याय, कारागृह (जेलों), स्थानीय स्वशासन, जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और औषधालय, परिवहन, क्रय-विक्रय, कृषि, सिंचाई और सड़कें, मत्स्य पालन, सार्वजनिक आमोद-प्रमोद (मनोरंजन), मादक शराब का उत्पादन निर्माण आदि।

(iii) समवर्ती सूची: समवर्ती सूची में ऐसे विषय सम्मिलित होते हैं जो क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर केन्द्र (संसद) व राज्य (राज्य विधानमण्डल) दोनों कानून बना सकते हैं। परन्तु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने की स्थिति में केन्द्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होगी यानी केन्द्रीय विधि मान्य होगी। समवर्ती सूची में निम्न विषय हैं- दण्ड विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, सिविल प्रक्रिया, विवाह तथा विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, व्यापार संघ, बिजली, श्रम कल्याण, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापाखाना (प्रेस), नापतौल, कीमत-नियंत्रण आर्थिक और सामाजिक योजना, शिक्षा पुनर्वास और पुरातत्त्व आदि। समवर्ती सूची में मूलत: 47 प्रविष्टियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 52 प्रविष्टियाँ हैं (42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 5 प्रविष्टियों के विषय राज्य सूची के शामिल कर दिये गये तथा नया विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी शामिल किया गया।

✦ अवशिष्ट शक्तियाँ:

- संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अनुच्छेद 246क के अधीन रहते हुए संसद को ऐसे विषय जिनका वर्णन उपर्युक्त तीन सूचियों में से किसी एक में भी अंकित नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है।

राष्ट्रपति

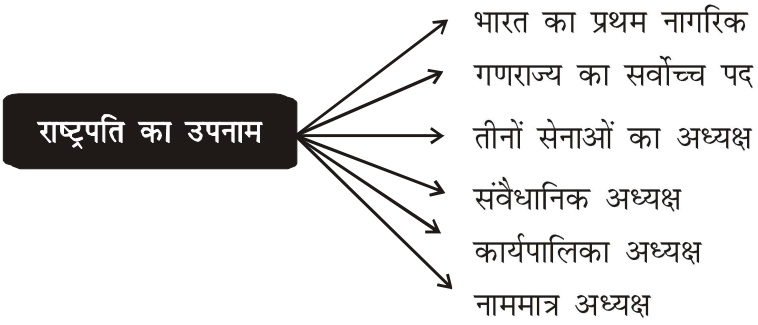

राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद		
क्र.सं.	**अनुच्छेद**	**विषयवस्तु**
1.	अनुच्छेद 52	भारत के राष्ट्रपति
2.	अनुच्छेद 53	संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
3.	अनुच्छेद 54	राष्ट्रपति का चुनाव (निर्वाचन मण्डल)
4.	अनुच्छेद 55	राष्ट्रपति के चुनाव का पद्धति
5.	अनुच्छेद 56	राष्ट्रपति का कार्यकाल / पदावधि
6.	अनुच्छेद 57	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
7.	अनुच्छेद 58	राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता
8.	अनुच्छेद 59	राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
9.	अनुच्छेद 60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
10.	अनुच्छेद 61	राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
11.	अनुच्छेद 62	राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय
12.	अनुच्छेद 65	उप–राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना
13.	अनुच्छेद 71	राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले
14.	अनुच्छेद 72	राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
15.	अनुच्छेद 74	मंत्रिपरिषद् का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।
16.	अनुच्छेद 75	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे – नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि।
17.	अनुच्छेद 76	भारत का महान्यायवादी
18.	अनुच्छेद 77	भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन के नियम बनाना
19.	अनुच्छेद 78	राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का कर्तव्य
20.	अनुच्छेद 85	संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना
21.	अनुच्छेद 111	संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना
22.	अनुच्छेद 112	संघीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)
23.	अनुच्छेद 123	राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
24.	अनुच्छेद 143	राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति

- **अनु. 86:** सदनों में अभिभाषण का और उनको सन्देश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
- **अनु. 87:** राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण (राष्ट्रपति का यह अभिभाषण मंत्री परिषद् द्वारा तैयार किया जाता है।)
- **अनु. 108:** साधारण विधेयक पर विरोध उत्पन्न होने पर वह सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत देश में अब तक तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है जो इस प्रकार है-

संयुक्त बैठकें

प्रथम संयुक्त अधिवेशन
- विषय → देहज विरोधी अधिनियम
- समय → 6 मई, 1961
- राष्ट्रपति → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- प्रधानमंत्री → पं. जवाहर लाल नेहरू

द्वितीय संयुक्त अधिवेशन
- विषय → बैंकिंग सेवा अधिनियम
- समय → 16 मई, 1978
- राष्ट्रपति → नीलम संजीव रेड्डी
- प्रधानमंत्री → मोरारजी देसाई

तृतीय संयुक्त अधिवेशन
- विषय → आतंकवाद निरोधक अधिनियम
- समय → 26 मई, 2002
- राष्ट्रपति → अब्दुल कलाम
- प्रधानमंत्री → अटल बिहारी वाजपेयी

- **अनु. 110:** लोकसभा में धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही पारित होता है।
- **अनु. 111:** राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु विधेयक को संसद के पास भेज सकते है। यह प्रावधान मूल संविधान से ही है। संसद द्वारा पारित विधेयक जब हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प है-

1. वह अनुमति दे सकता है, 2 . अनुमति रोक सकता है।, 3. पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है । जिसको वीटों शक्ति के नाम से भी जाना जाता है और वीटों शक्ति तीन प्रकार की होती है।

1. अत्यांतिक/निरपेक्ष वीटो
2. निलम्बनकारी वीटो
3. पॉकेट वीटो

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

अत्यांतिक/निरपेक्ष वीटो
1. विधेयक को अनुमति देने से मना करना।
2. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत सुरक्षित विधेयकों पर इसका प्रयोग किया जाता है।
3. इसका अब तक केवल एक बार प्रयोग हुआ है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 'पेप्सू विनियोग विधेयक 1954' को अनुमति देने से मना कर दिया था। यह विधेयक सांसदों के वेतन भत्तों से

निलम्बनकारी विटो
1. संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुर्नविचार के लिए भेजता है और यदि संसद उस विधेयक को वापस भेजती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा।

पॉकेट वीटो
1. राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति देगा या इनकार करेगा या वापिस लौटाने की कोई सीमा नहीं होती है। इस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार प्रयोग हुआ है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 'भारतीय डाकघर विधेयक' पर किया।

ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे

- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
- डॉ. जाकिर हुसैन
- वी. वी. गिरी
- राधास्वामी वेंकटरमण
- डॉ. शंकर दयाल शर्मा
- K. R. नारायण

कार्यवाहक राष्ट्रपति

- **वी. वी. गिरी** (जाकिर हुसैन का निधन)
- **मोहम्मद हिदायतुल्ला**
- **बी. डी. जत्ती** (फखरूद्दीन अहमद के निधन के कारण)

वे राष्ट्रपति जिन्होनें अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

- शंकर दयाल शर्मा
- कोचेरिल रामन नारायणन
- डॉ. एपीजे कलाम
- प्रतिभा पाटिल
- प्रणव मुखर्जी
- श्री रामनाथ कोविंद

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
- वराहगिरि वेंकटगिरी
- नीलम संजीव रेड्डी
- रामास्वामी वेंकटरमण

अब तक राष्ट्रपति पद के महिला उम्मीदवार

- श्रीमती कृष्णा कुमारी चटर्जी (1952)
- श्रीमती मनोहरा होलकर (1967)
- श्रीमती फूलचरण कौर (1969)
- श्रीमती लक्ष्मी सहगल (2002)
- श्रीमती प्रतिभा पाटिल (2007) राष्ट्रपति बनी।
- श्रीमती मीरा कुमार (2017)
- श्रीमती द्रौपदी मुर्मु (2022) राष्ट्रपति बनी।

ऐसे राष्ट्रपति जो राज्यपाल भी रह चुके हैं।

- जाकिर हुसैन (बिहार के)
- प्रतिभा पाटिल (राजस्थान)
- रामनाथ कोविंद (बिहार)
- वी. वी. गिरी (केरल के)
- द्रोपद्री मुर्मु (झारखण्ड के)

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य:

➢ प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्नलिखित होती है-

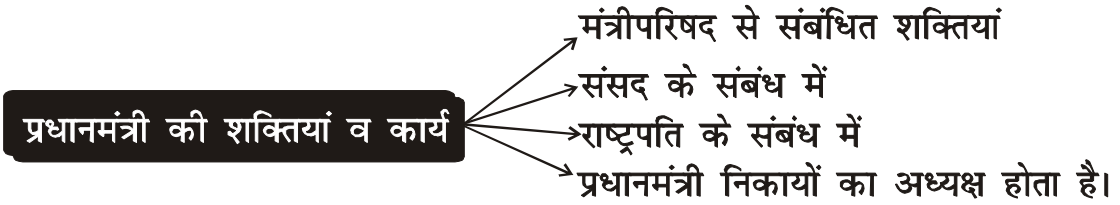

i. मंत्रिपरिषद् से संबंधित शक्ति: जैसा कि लॉस्की ने कहा है "प्रधानमंत्री कैबिनेट के जीवन व मृत्यु का केन्द्र है।" प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद् समाप्त हो जाती है।

- अनु. 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के कहने से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें विभागों का आवंटन करता है, मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति से मंत्रियों को हटाने की सिफारिश करता है।
- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के नियम 4(1) के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित भारत सरकार का कार्य प्रधानमंत्री को आवंटित किया गया है और सदैव उन्हें आवंटित किया गया समझा जाता है।
- प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद् स्वत: ही विघटित हो जाती है।

ii. संसद के संबंध में: प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, वह उस सदन का नेता होता है।

- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने व उसके स्थगन और लोकसभा के विघटन करने संबंधी परामर्श देता है।
- वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।

iii. राष्ट्रपति के संबंध में: अनु. 78 के तहत् यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद् के कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा, जो प्रधानमंत्री का एक कर्त्तव्य है।

- राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ, महान्यायवादी, वित्त आयोग में प्रधानमंत्री की सिफारिश ही होती है।

iv. प्रधानमंत्री निम्न निकायों का अध्यक्ष होता है:

A. नीति आयोग (NITI)
B. अन्तर्राज्यीय परिषद (अनु.-263)
C. राष्ट्रीय एकता परिषद्
D. राष्ट्रीय विकास परिषद् (यह परिषद् अब नहीं है) E. वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
F. राष्ट्रीय सुरक्षा समिति
G. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्
H. प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है।
I. प्रधानमंत्री विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, शांति निकेतन का कुलाधिपति होता है।

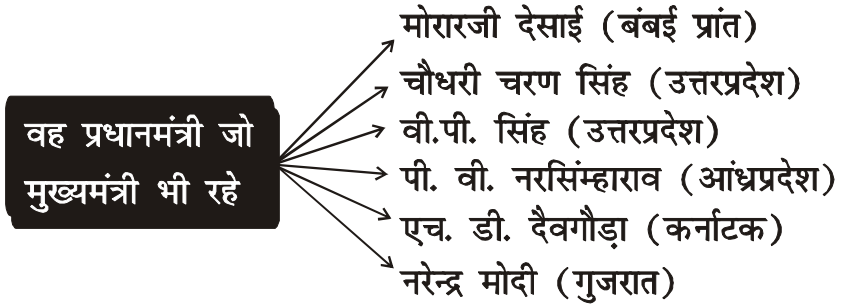

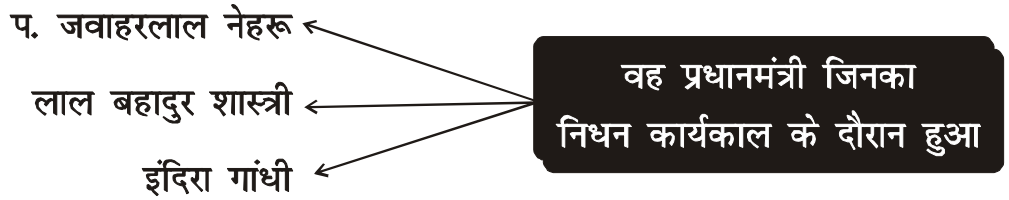

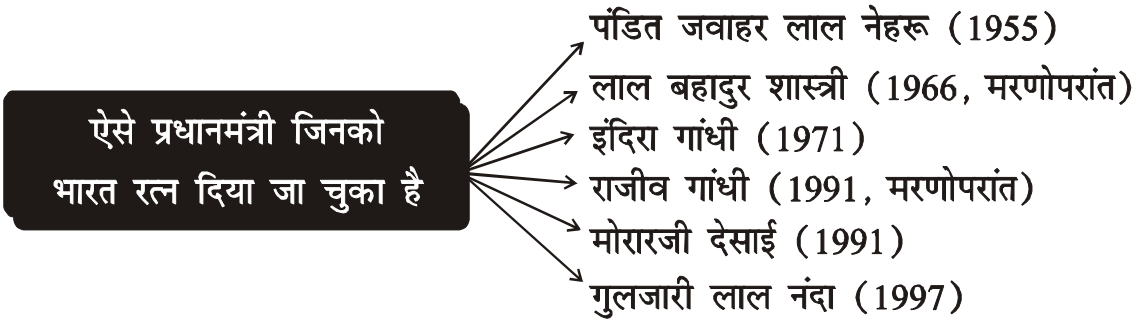

✍ **नोट:** इंद्र कुमार गुजराल ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के दौरान एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा।

- सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू रहे। (16 वर्ष 286 दिन तक)
- गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे जो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला। (दोनों बार 13 दिन के लिए)

भारत के प्रधानमंत्री

क्र. सं.	प्रधानमंत्री	पद ग्रहण	पद मुक्त	विशेष
1.	जवाहर लाल नेहरू	15 अगस्त, 1947	27 मई, 1964 (16 साल, 286 दिन)	भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति।
2.	गुलजारी लाल नंदा	27 मई, 1964	09 जून, 1964 (13 दिन)	पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे।
3.	लाल बहादुर शास्त्री	09 जून, 1964	11 जनवरी, 1966 (1 वर्ष, 216 दिन)	इन्होंने 1965 में भारत–पाकिस्तान युद्ध के समय ''जय जवान जय किसान'' नारा दिया था।
4.	इंदिरा गाँधी	24 जनवरी, 1966	24 मार्च, 1977 (11 साल, 59 दिन)	भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री
5.	मोरारजी देसाई	24 मार्च, 1977	28 जुलाई, 1979 (2 साल, 126 दिन)	सबसे वृद्धि (81 वर्ष) प्रधानमंत्री और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री।
6.	चरण सिंह	28 जुलाई, 1979	14 जनवरी, 1980 (170 दिन)	अकेले ऐसे पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया।
7.	इंदिरा गाँधी	14 जनवरी, 1980	31 अक्टूबर, 1984 (4 साल, 291 दिन)	प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला।

संसद

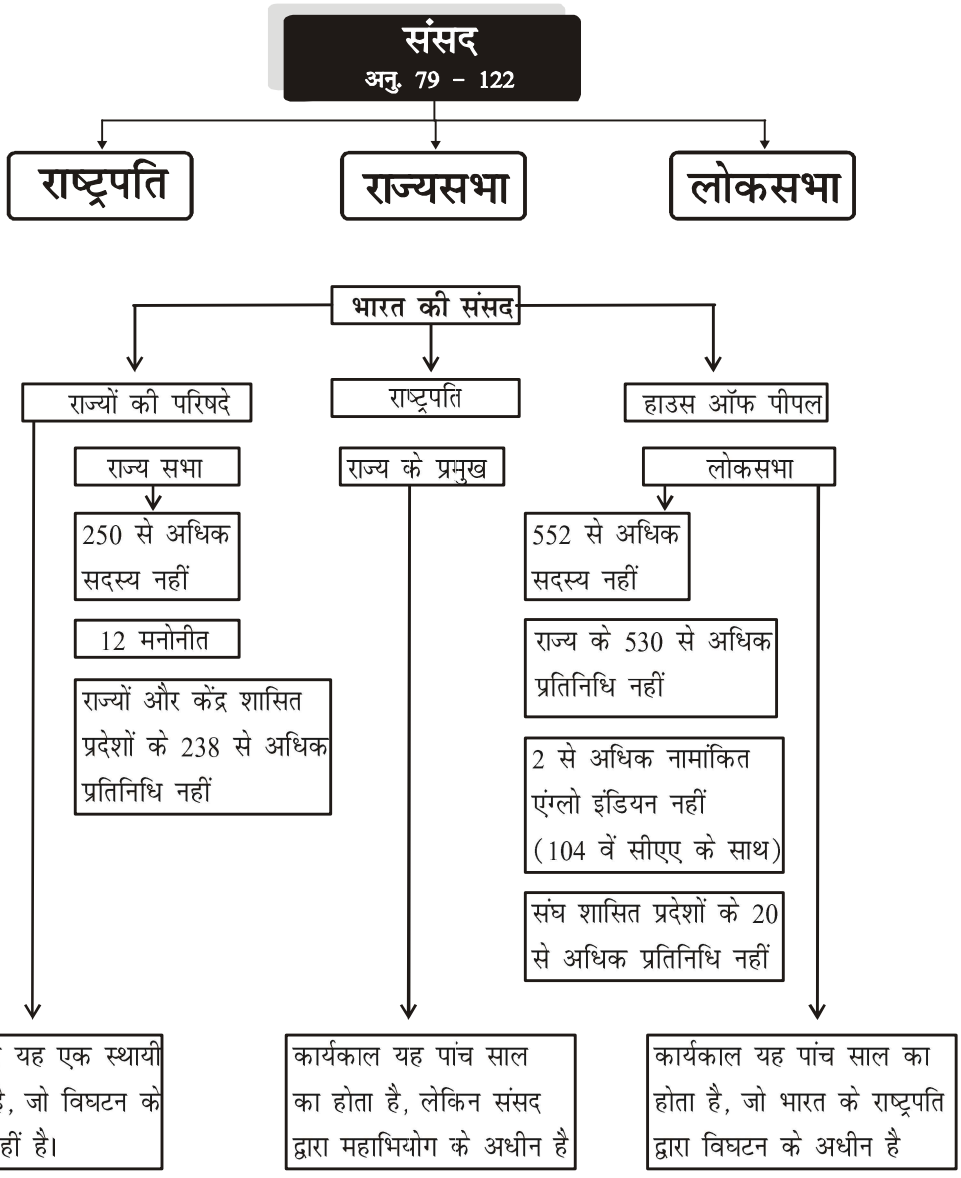

❖ **संसद** - संसद का उल्लेख संविधान के **भाग -5, अध्याय 2** तथा **अनु. 79 से 122** तक मिलता है। जिसको वर्तमान समय में संसद, व्यवस्थापिका व विधायिका के नाम से जाना जाता है।

✦ **अनुच्छेद 79 - संसद का गठन**

➢ भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो संसद के तीन अंग होते है-

☞ **क्या आप जानते है?**

- राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, सदस्य नहीं और ना ही संसद की बैठकों में भाग लेता है।
- भारत एवं ब्रिटेन के विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति, विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता है।

क्र.सं.	लोकसभा (अवधि)	प्रथम बैठक	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदन का नेता
1.	पहली 17.4.1952-4.4.1957	13.5.1952	जी.वी. मावलंकर एम.ए.आयंगर	एम.ए.आयंगर सरदार हुकुम सिंह	जवाहरलाल नेहरू
2.	दूसरी 5.4.1957-31.3.1962	10.5.1957	एम.ए.आयंगर	सरदार हुकुम सिंह	जवाहरलाल नेहरू
3.	तीसरी 2.4.1962-3.3.1967	16.4.1962	सरदार हुकुम सिंह	एस.वी.कृष्णमूर्ति राव	जवाहरलाल नेहरू गुलजारी लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री गुलजारी लाल नंदा सत्यनारायण सिन्हा
4.	चौथी 4.3.1967-27.12.1970	16.3.1967	एन.संजीव रेड्डी जी.एस.ढिल्लन	आर.के.खांडिलकर जी.जी.स्वेल	इंदिरा गांधी
5.	पांचवीं 15.3.1971-18.1.1977	19.3.1971	जी.एस.ढिल्लन बी.आर.भगत	जी.जी.स्वेल	इंदिरा गांधी
6.	छठवीं 23.3.1977-22.8.1979	25.3.1977	एन.संजीव रेड्डी के.एस.हेगड़े	गुउे मुरहारी	मोरारजी देसाई चरण सिंह
7.	सातवीं 10.1.1980-31.12.1984	21.1.1980	बलराम जाखड़	जी. लक्ष्मणन	इंदिरा गांधी
8.	आठवीं 31.12.1984-27.11.1989	15.1.1985	बलराम जाखड़	एम.थुम्बी दुरई	राजीव गांधी
9.	नवीं 2.12.1989-13.3.1991	18.12.1989	रवि राय	शिवराज बी. पाटिल	विश्वनाथ प्रताप सिंह चन्द्रशेखर
10.	दसवीं 20.6.1991-10.5.1996	9.9.1991	शिवराज बी.पाटिल	एस.मल्लिकार्जुनय्या	अर्जुन सिंह पी.वी. नरसिन्हा राव
11.	ग्यारहवीं 15.5.1996-4.12.1997	22.5.1996	पी.ए.संगमा	सूरजभान	अटलबिहारी वाजपेयी रामविलास पासवान
12.	बारहवीं 10.3.1998-26.4.1999	23.3.1998	जी.एम.सी.बालयोगी	पी.एम.सईद	अटलबिहारी वाजपेयी
13.	तेरहवीं 10.10.1999-6.2.2004	20.10.1999	जी.एम.सी बालयोगी	पी.एम.सईद	अटलबिहारी वाजपेयी
14.	चौदहवीं 17.5.2004-23.3.2009	2.6.2004	सोमनाथ चटर्जी	चरणजीत सिंह अटवाल	प्रणव मुखर्जी
15.	पन्द्रहवीं 18.5.2009-18.5.2014	1.6.2009	मीरा कुमार	करिया मुंडा	सुशील कुमार शिंदे
16.	सोलहवीं 4.6.2014-25.5.2019	4.6.2014	सुमित्रा महाजन	एम.थुम्बी दुरई	नरेन्द्र मोदी
17.	सत्रहवीं17.6.2019-2024	17.6.2019	ओम बिड़ला	रिक्त	नरेन्द्र मोदी
18.	अट्ठारवीं 26.06.2024 से		ओम बिड़ला	रिक्त	नरेन्द्र मोदी

न्यायपालिका

उच्चतम न्यायालय	
अनुच्छेद	**विवरण**
124	उच्चतम न्यायालय
124 (1)	उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन
124 (2)	न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे
124 (3)	योग्यताएँ
124 (4)	पद से हटाना
124 (5)	न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया
124 (6)	शपथ का प्रावधान
124 (7)	सेवा शर्तों का प्रावधान
125	न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि
126	कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
127	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
128	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
129	अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय
130	उच्चतम न्यायालय का स्थान
131	उच्चतम न्यायालय का (आरंभिक) क्षेत्राधिकार
132	उच्चतम न्यायालय का कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
133	सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार
134	उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार
134ए	उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र
135	उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग
136	उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष याचिका
137	उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा
138	क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना
139	कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
141	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना।
143	राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति
144	सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायक होना।
145	न्यायालय के नियम इत्यादि

पृष्ठभूमि

- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें 1 एक मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) व 3 अन्य न्यायाधीश थे।
- 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर, 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट (संघीय न्यायालय) की स्थापना की गई।
- इसके निर्णय के विरूद्ध ब्रिटेन की प्रीवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।
- इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (मौरिस ग्वेसर) एवं 6 अन्य न्यायधीश हैं।

✦ **अनुच्छेद 124 (1) – उच्चतम न्यायालय का गठन**

- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, यानि कुल 34 न्यायाधीश। न्यायाधिशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है।
- 1950 के बाद न्यायाधीशों की संख्या में 6 बार वृद्धि की जा चुकी है।
- 26 जनवरी, 1950 को 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश कुल 8 थे।
- 1956 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 10 अन्य न्यायाधीश कुल 11 थे।
- 1960 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 13 अन्य न्यायाधीश कुल 14 थे।
- 1977 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 17 अन्य न्यायाधीश कुल 18 थे।
- 1986 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश कुल 26 थे।
- 2008 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश कुल 31 थे।
- 2019 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश कुल 34 थे।
- अगस्त, 2019 में संसद ने विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है।
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है।

राजस्थान की राजव्यवस्था का परिचय

➢ **सरकार क्या है?**

- सरकार से अभिप्राय यह है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका तीनों मिलकर जिसका निर्माण करती है उसे ही सरकार कहा जाता है।

☞ **नोटः**- बहुत से विद्यार्थी सरकार और संविधान को एक ही समझते हैं जो पूर्ण रूप से गलत है।

➢ **संविधान क्या है?**

ऐसे नियम व कानून जिससे किसी देश या राज्य की राजव्यवस्था या जिनके माध्यम से सम्पूर्ण देश का संचालन हो उसे संविधान कहा जाता है।

➢ **राज्य सरकार को इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है-**

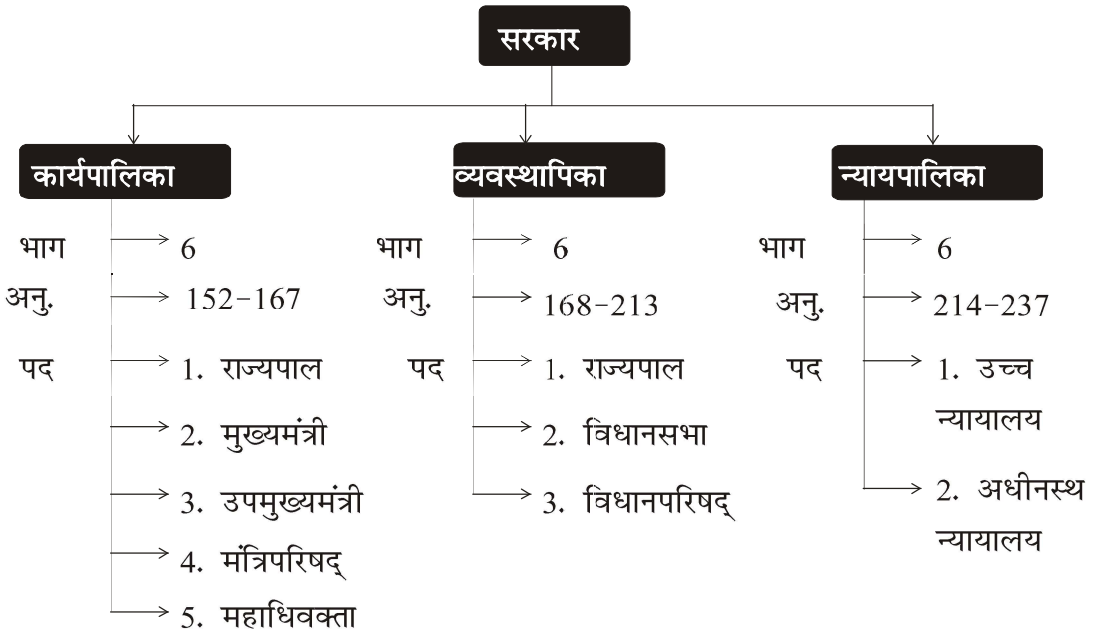

- जिस प्रकार केन्द्र सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही कार्यपालिका के नाममात्र अध्यक्ष होते हैं।
- जिस प्रकार केन्द्र सरकार में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य सरकार में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है।

राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों में तुलनात्मक अन्तर			
क्र.सं.	शक्तियाँ	राष्ट्रपति	राज्यपाल
1.	कार्यकारी शिक्षा	हां	हां
2.	विधायी शक्ति	हां	हां
3.	वित्तीय शक्ति	हां	हां
4.	न्यायिक शक्ति	हां	हां
5.	वीटो पॉवर	हां (अनुच्छेद 111)	हां (अनुच्छेद 200)
6.	अध्यादेश जारी करने	हां (अनुच्छेद 123)	हां (अनुच्छेद 213) की शक्ति
7.	संयुक्त अधिवेशन बुलाना	हां (अनुच्छेद 108)	नहीं
8.	आपातकालीन शक्ति	हां (अनुच्छेद 352-360)	नहीं
9.	परामर्शकारी शक्ति	हां (अनुच्छेद 143)	नहीं
10.	सैन्य शक्ति	हां (अनुच्छेद 53 (2))	नहीं
11.	कूटनीतिक शक्ति	हां (अनुच्छेद 53)	नहीं
12.	संवैधानिक स्वविवेकीय शक्ति	नहीं	हां (अनुच्छेद 163 (2))

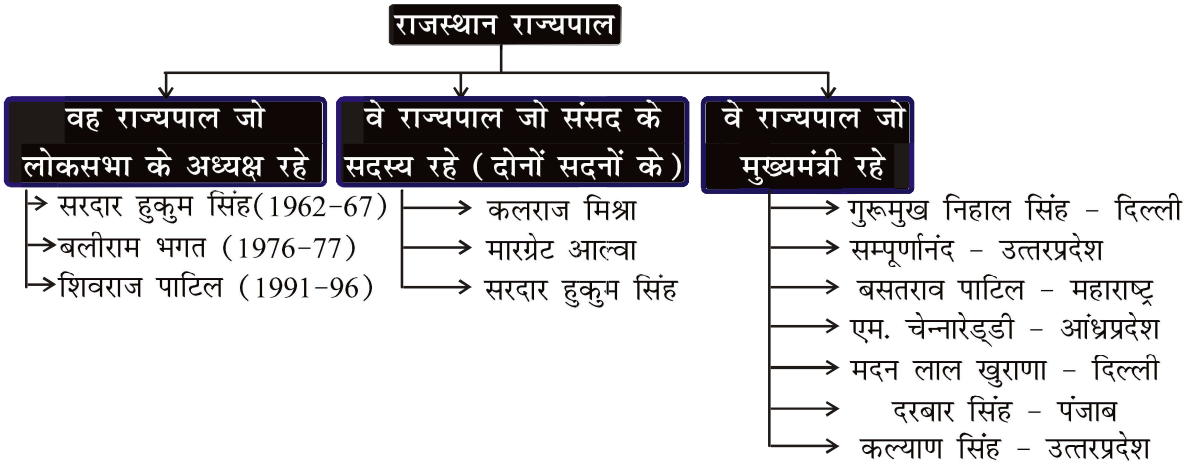

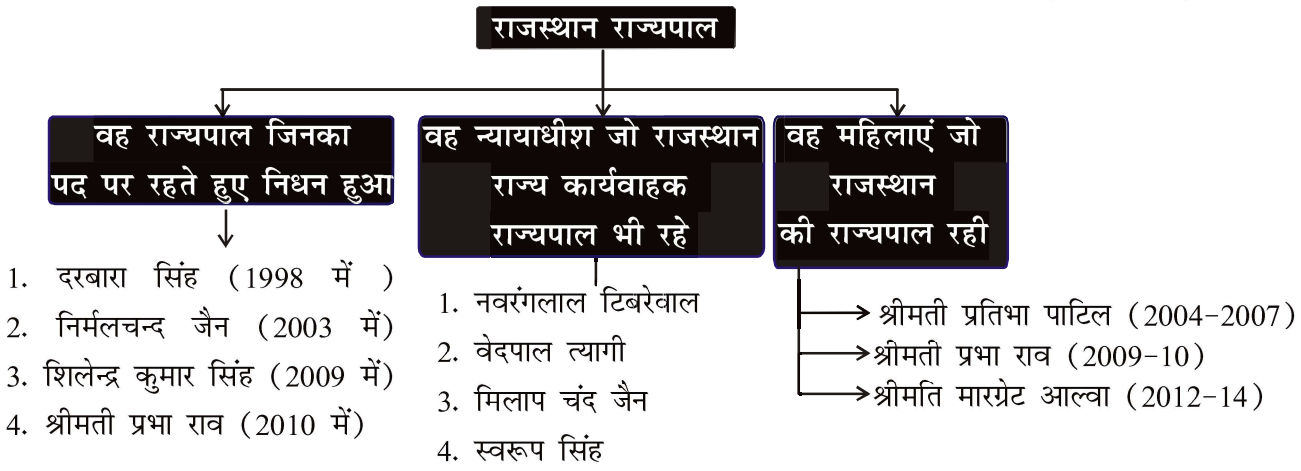

कौनसे मुख्यमंत्री के समय कौनसे राज्यपाल रहे

क्र.सं.	मुख्यमंत्री	राज्यपाल	कार्यकाल
1.	हीरा लाल शास्त्री	सवाई मानसिंह (राजप्रमुख)	
2.	सी.एस. वेंकटाचारी	सवाईमानसिंह (राजप्रमुख)	
3.	जयनारायण व्यास(1951-52, 1952-54)	सवाईमानसिंह (राजप्रमुख)	
4.	टीकाराम पालीवाल	सवाईमानसिंह (राजप्रमुख)	
5.	मोहनलाल सुखाडिया (1954-71)	1. सवाईमानसिंह(राजप्रमुख) 2. गुरुमुख निहालसिंह 3. सम्पूर्णानंद 4. हुकुम सिंह 5. जगतनारायण	
6.	बरकतुल्ला खां	1. हुकुम सिंह 2. जोगिन्दर सिंह	
7.	हरिदेव जोशी (1973-77, 1985-88, 1989-90)	1. जोगिन्दर सिंह 2. वेदपाल त्यागी	**प्रथम कार्यकाल में**
		3. ओ.पी. मेहरा 4. डी.पी. गुप्ता 5. जे.एस.वर्मा 6. बसंतराव पाटिल	**द्वितीय कार्यकाल में**
		7. सुखदेव प्रसाद 8. मिलापचंद जैन 9. देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	**तृतीय कार्यकाल में**
8.	भैरोसिंह शेखावत (1977-80, 1990-92, 1993-98)	1. रघुकुल तिलक 2. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	**प्रथम कार्यकाल में**
		3. स्वरूप सिंह 4. एम. चेन्नारेड्डी	**द्वितीय कार्यकाल में**
		5. बलिरात भगत 6. दरबारा सिंह 7. एन.एल.टिबरेवाल	**तृतीय कार्यकाल में**
9.	जगन्नाथ पहाड़िया	रघुकुल तिलक	
10.	शिवचरण माथुर (1981-85, 1988-89)	1. रघुकुल तिलक 2. के.डी. शर्मा 3. ओ.पी. मेहरा 4. पी.के.बनर्जी	**प्रथम कार्यकाल में**
		5. वसंतराव पाटिल **6. सुखदेव प्रसाद** **7. जे.एस.वर्मा**	**द्वितीय कार्यकाल में**

✦ भजनलाल शर्मा (वर्तमान मुख्यमंत्री)

- जन्मः 15 दिसम्बर, 1966 स्थानः अटारी गांव, नंदबई, (भरतपुर)
- ये 1992 में राममंदिर को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें जेल गये थे।
- ये 2000–2005 तक अटारी गांव के सरपंच रहे तथा 2010–15 तक पंचायत समिति सदस्य रहे।
- ये जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से विजय हुये। (कांग्रेस के पुष्पेन्द्र भारद्वाज को हराकर)
- व्यक्ति के अनुसार राजस्थान के 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है।

राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री
- हीरालाल शास्त्री
- सी.एस. वैंकटाचारी
- जयनारायण व्यास

राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री
- भैरोसिंह शेखावत
- वसुंधरा राजे
- भजनलाल शर्मा

राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष/प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं।
- भैरोंसिंह शेखावत (3 बार)
- हरिदेव जोशी (1 बार)
- वसुंधरा राजे (1 बार)

राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे
- मोहनलाल सुखाड़िया (कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल)
- शिव चरण माथुर (असम के राज्यपाल)
- जगन्नाथ पहाड़िया (बिहार और हरियाणा के राज्यपाल)
- हरिदेव जोशी (असम, मेघालय, प. बंगाल)

राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे
- हीरालाल शास्त्री
- सी.एस. वेंकटाचारी
- जयनारायण व्यास

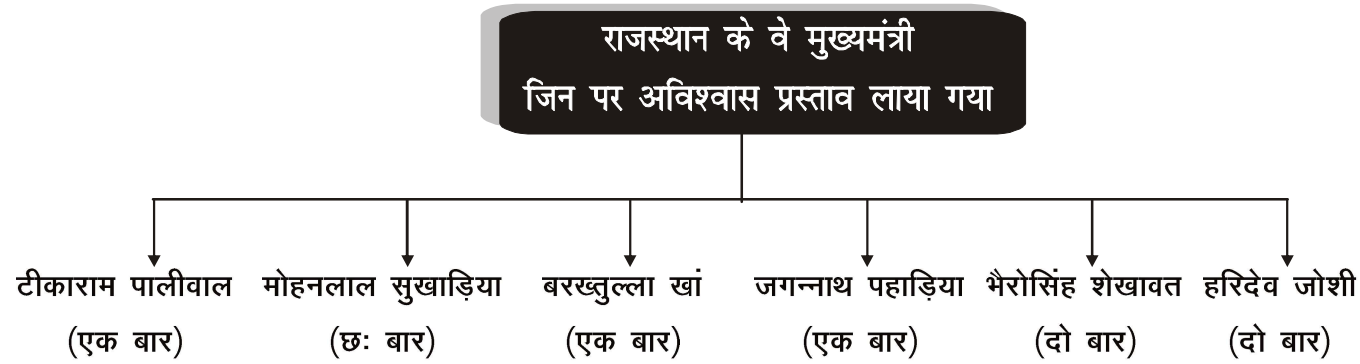

- अब तक राजस्थान में मुख्यमंत्रियों पर 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ।

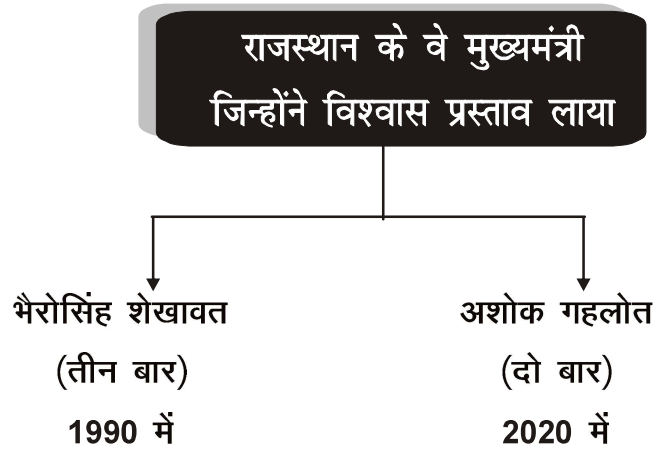

- अब तक राजस्थान में पांच बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

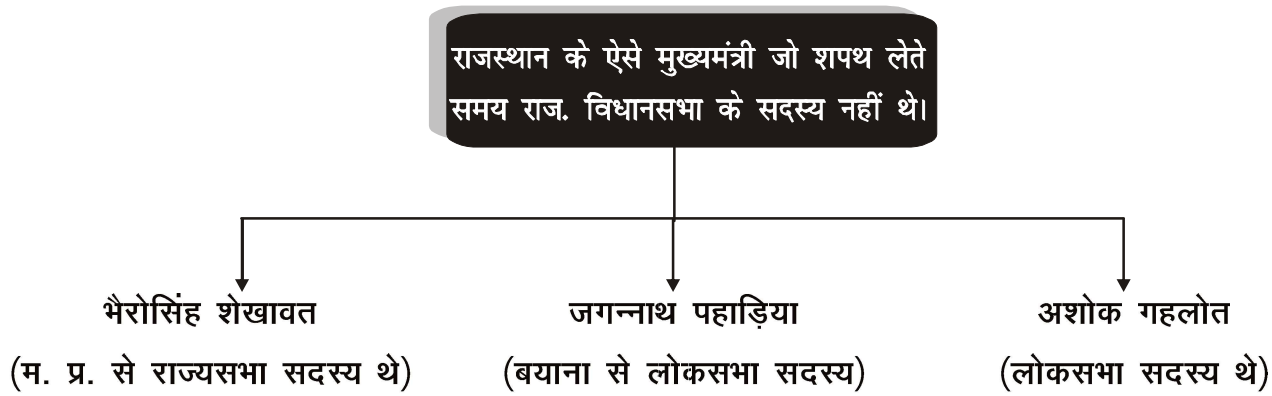

राज्य मंत्रीपरिषद के कार्य व शक्तियां

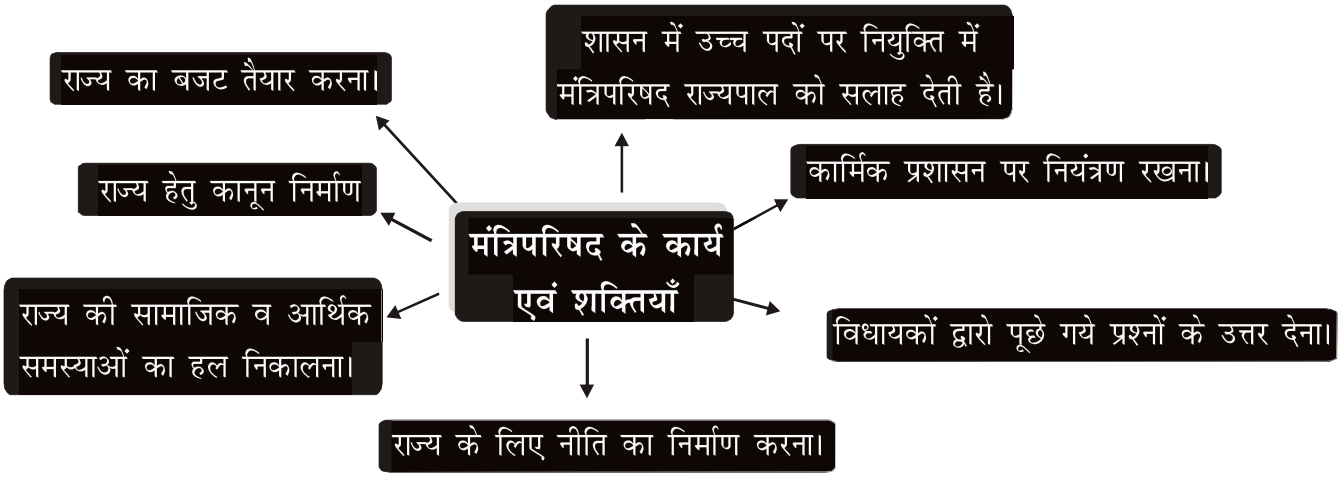

मंत्रिपरिषद् व मंत्रिमण्डल में अंतर		
क्र.सं.	मंत्रिपरिषद्	मंत्रिमण्डल
1.	आकार बड़ा	आकार छोटा
2.	सभी प्रकार के मंत्री सम्मिलित (4 प्रकार)	केवल कैबिनेट मंत्री
3.	मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य	जबकि मंत्रिपरिषद् के सभी इसका हिस्सा सदस्य मंत्रिमण्डल का हिस्सा नहीं होते है।
4.	अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित	निर्धारित नहीं

क्या आप जानते है?

- **91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् के आकार को अधिकतम विधानसभा के सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत व न्यूनतम 12 तक सीमित कर दिया गया है। (1 जनवरी 2004 से लागू)**
- **जिन राज्यों में विधानसभा सीटें 40 से कम हेाती है वहां कम से कम मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री होने चाहिए।**
- **राजस्थान की वर्तमान मंत्रिपरिषद:-** मुख्यमंत्री+10 कैबिनेट मंत्री+ 10 राज्य मंत्री =मुख्यमंत्री सहित 21 सदस्य है।
- **किचन कैबिनेट (आंतरिक मंत्रिमण्डल):-** मुख्यमंत्री के 2 से 4 विश्वासपात्र मंत्री शामिल होते है।
- **छाया मंत्रिमण्डल:-** गठन विपक्षी दल द्वारा
  –राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 13 वीं विधानसभा से शुरूआत
- राजस्थान में संसदीय सचिव व राज्य मंत्री बनाने की शुरूआत 4वीं विधानसभा (1967–1972) से हुई। (तात्कालिक मुख्यमंत्री– मोहनलाल सुखाड़िया)

➢ **अनुच्छेद 170 (3)** 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार, राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया।

- विधानसभा स्थानों का आवंटन– 1971 की जनसंख्या के अनुसार।

भारत के सभी राज्यों की विधानसभा सीटें

क्र. सं.	राज्य	विधानसभा सीटे	क्र. स.	राज्य	विधानसभा सीटे
1.	उत्तरप्रदेश	403	11.	गुजरात	182
2.	पं. बंगाल	294	12.	आन्ध्रप्रदेश	175
3.	महाराष्ट्र	288	13.	ओड़िसा	147
4.	बिहार	243	14.	असम	126
5.	तमिलनाडु	234	15.	तेलंगाना	119
6.	मध्यप्रदेश	230	16.	पंजाब	117
7.	कर्नाटक	224	17.	छत्तीसगढ़	90
8.	राजस्थान	200	18.	हरियाणा	90
9.	जम्मू और कश्मीर	114	19.	हिमाचल प्रदेश	68
10.	उत्तराखण्ड	70	20.	दिल्ली (केन्द्र शासित प्रदेश)	70

विधानसभा की सीटों को लेकर अपवादित राज्य

- मणिपुर –50
- मिजोरम– 40
- सिक्किम –32
- पुदुचेरी –30

ऐसे राज्य जिनकी विधानसभा सीटें 60 है।

- अरूणाचल प्रदेश
- मेघालय
- नागालैण्ड
- त्रिपुरा
- गोवा

क्या आप जानते है?

- केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली (70 सीटें), पुदुचेरी (30 सीटें) व जम्मू एण्ड कश्मीर (114 सीटें) में भी विधानसभा का प्रावधान है।

➢ **अनुच्छेद 171:** इस अनुच्छेद में विधानपरिषद की संरचना का उल्लेख है।

➢ **अनुच्छेद 172 (राज्यों विधान मंडलों की अवधि)**

- सामान्यतः राज्य विधानमण्डलों की अवधि 5 व 6 वर्ष मानी जाती है जिनमें से विधानसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है जबकि विधानपरिषद् की सामान्य अवधि 6 वर्ष होती है।

क्या आप जानते है?

- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा 5वीं थी।
- प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा।

विधानपरिषद्

✦ अनुच्छेद 171 (3) : संरचना व संगठन

- विधानपरिषद के गठन हेतु विधानसभा द्वारा गठन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना आवश्यक है एवं यह बहुमत कुल मतों उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए।
- राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् संसद द्वारा प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है।
- विधानपरिषद एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता।

➢ **वर्तमान में विधानपरिषद एवं सदस्यों की संख्याः**

(i) आध्र प्रदेश (50)
(ii) तेलगांना (40)
(iii) उत्तरप्रदेश (100)
(iv) बिहार (75)
(v) कर्नाटक (75)
(vi) महाराष्ट्र (78)

➢ **विधानपरिषद सदस्यों की संख्या**- विधानसभा सदस्यों का अधिकतम 1/3 एवं न्यूनतम 40

☞ **नोटः** राजस्थान विधान परिषद अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान विधानपरिषद के गठन का प्रस्ताव राजस्थान विधानमण्डल द्वारा संसद को भेजा गया था।

➢ **निर्वाचनः**

(i) 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
(ii) 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित।
(iii) 1/12 शिक्षक जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो। (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान)
(iv) 1/12 जिन्हें स्नातक किये हुए 3 वर्ष हो चुके हो।
(v) 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है। (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन समाज सेवा)

➢ **विधानपरिषद सदस्यों की योग्यता :**

(i) भारत का नागरिक हो।
(ii) न्यूनतम आयु 30 वर्ष।
(iii) संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न योग्यताएँ।
(iv) सरकार में किसी लाभ के पद पर ना हो।

➢ **सदस्यता का अंतः**

(i) लाभ का पद ग्रहण करने पर।
(ii) दिवालिया घोषित होने पर।
(iii) भारत की नागरिकता समाप्त होने पर।
(iv) विकृत मानसिकता से ग्रसित होने पर।

➢ **विधानपरिषद के सदस्यों का कार्यकालः**

(i) विधान परिषद एक स्थायी सदन है।
(ii) इसके सदस्यों का कार्यकाल– 6 वर्ष हैं।
(iii) 1/3 सीट प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात रिक्त हो जाती है।

➢ **अधिवेशनः**

- वर्ष में 2 बार

- 22 मई, 1950 को उदयपुर, बीकानेर व कोटा खण्डपीठ को समाप्त कर दिया गया।
- 1 नवम्बर 1949 को 1956 की सत्यनारायण राव कमेटी की अनुशंषा पर 1958 में उच्च न्यायालय को जोधुपर स्थानान्तरित किया गया और जयपुर खण्डपीठ को समाप्त किया गया।
- 31 जनवरी, 1977 को जयपुर खण्डपीठ को दुबारा स्थापित कर दिया गया।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा 40 अन्य न्यायाधीश हैं।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश **के.के. वर्मा** थे। जो इलाहाबाद के थे।
- वर्तमान में **नवीन सिन्हा** मुख्य न्यायाधीश हैं।

➢ **निर्णय:**

- 21 जून, 1949 (राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949)

➢ **स्थापना:**

- 25 अगस्त, 1949 को जारी एक अधिसूचना द्वारा 29 अगस्त, 1949 को राजप्रमुख महाराजा मानसिंह की उपस्थिति में हुई।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में पंजाब व हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिनका संयुक्त रूप में उच्च न्यायालय है जिसको चण्डीगढ़ उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अन्तर्गत आने वाले जिले (19)

→ बालोतरा बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुरि, मेड़ता, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, गंगानगर, उदयपुर एवं जोधपुर मेट्रोपोलिटन।

उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अन्तर्गत आने वाले जिले (16)

→ अजमेर, अलवर, बांरा, भरतपुर, बून्दी,
→ दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू,
→ करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर,
→ टोंक एवं जयपुर मेट्रो।

राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या

स्थापना के समय	1956 में	2015 में	वर्तमान में
I. एक मुख्य न्यायाधीश II. 11 अन्य न्यायाधीश।	I. एक मुख्य न्यायाधीश II. 6 अन्य न्यायाधीश।	I. एक मुख्य न्यायाधीश II. 49 अन्य न्यायाधीश।	I. एक मुख्य न्यायाधीश II. 49 अन्य न्यायाधीश।

➢ **राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर की स्थापना:**

- 16 नवम्बर, 2001 को हुई।
- वर्तमान संरक्षक– न्यायमूर्ति अकील कुरैशी
- वर्तमान अध्यक्ष– न्यायमूर्ति संदीप मेहता

➢ **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन:** 2.50 लाख रूपये

- अन्य न्यायधीशों का वेतन: 2.25 लाख रूपये

भारत सरकार द्वारा गठित पंचायतीराज समितियां व सिफारिशें - भाग 2

GVK राव समिति 1985

- इस समिति ने जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्तंभ बताया।
- पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव पर बल दिया।
- जिला विकास कमिश्नर के पद के सृजन का समर्थन किया।
- कलक्टर के नियामकीय व विकासात्मक कार्यों में विभाजन का समर्थन किया।

एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

- पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की।
- पंचायती राज न्यायाधिकरणों की स्थापना पर बल दिया।

गाडगिल समिति (1988)

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा व त्रिस्तरीय
- पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया।
- पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने पर बल दिया।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण पर बल दिया।
- राज्य वित्त आयोग व राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का समर्थन किया।

राजस्थान सरकार द्वारा गठित समितियाँ

- **सादिक अली समिति**– 1964
  इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव हेतु एक वृहत्तर निर्वाचक मण्डल की स्थापना की सिफारिश की।
- **गिरधारी लाल व्यास समिति**:– 1973 ई.
  –प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामसेवक की नियुक्ति की जाए।
- **हरलाल सिंह खर्रा समिति**:– 1990 ई.
- **कटारिया समिति** :– 2009 ई.
- **वी.एस.व्यास समिति**:– 2010 ई.

73वाँ संविधान संशोधन की विशेषताएँ

- **परिभाषा:**
- **अनुच्छेद- 243(A): ग्रामसभा**
- **गठन**- ग्राम पंचायत सर्किल के सभी व्यस्क मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में उल्लेखित हो, से मिलकर बनेगी।
- **अध्यक्षता**– सरपंच
- **बैठक**– संवैधानिक प्रावधान: 6 माह में 1 बार
- किन्तु राजस्थान में 4 बैठकों का प्रावधान है–

i. 15 अगस्त ii. 2 अक्टूम्बर iii. 26 जनवरी iv. 1 मई

- यदि सरपंच नहीं/ अनुपस्थित है तो उपसरपंच अध्यक्षता करेगा।
- सरपंच व उपसरपंच दोनों अनुपस्थित होने पर ग्रामसभा के सदस्य अध्यक्ष का निर्धारण करेगें।
- 8 मार्च और 14 नवम्बर को विशेष परिस्थितियों में राजस्थान में 2 और बैठक बुलाई जा सकती है।
- **गणपूर्ति**: कुल सदस्यों का 1/10
- अविश्वास प्रस्ताव– 2 वर्ष पश्चात् लाया जा सकता है जिसमें 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

- 1980 से वर्तमान में कांग्रेस का चुनाव चिह्न था- 'हाथ (पंजा)' है।

✦ जनता पार्टी:

- जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई।
- यह चार दलों के विलय से बनी थी। कांग्रेस (10), जनसंघ, भारतीय लोक दल तथा सोशलिष्ट पार्टी।
- इसके संस्थापक अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे।
- भारतीय लोक दल के चरण सिंह उपाध्यक्ष थे।
- जनता पार्टी का चुनाव चिह्न 'हलधर' था।

✦ भारतीय जनता पार्टी:

- भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल, 1980 को हुई।
- इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे।
- भाजपा का चुनाव चिह्न 'कमल का फूल' (1857 की क्रांति से प्रेरित होकर) है।
- सबसे प्राचीन चुनाव चिह्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का है।
- राजस्थान का एकमात्र राज्यदल - राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसे 7 जून, 2019 को राज्य दल का दर्जा दिया गया।

✦ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी

- इस पार्टी को 7 जनू, 2018 भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य दल का दर्जा दिया गया।
- इस पार्टी के संयोजक हनुमान बेनिवाल है।
- इसका चुनाव चिह्न 'पानी की बोतल' है।

☞ क्या आप जानते हैं?

1. सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में जयप्रकाश नारायण व नरेन्द्र देव, राममनोहर लोहिया द्वारा की गई।
2. भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई।
3. स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी. राजगोपालाचार्य, के. एम. मुन्शी, मीनू मसाणी, एन. जी. रंगा द्वारा की गई।
4. भारतीय क्रांति दल की स्थापना 1967 में चौधरी चरण सिंह द्वारा की गई।
5. कांग्रेस (ओ.) की स्थापना 1969 में के. कामराज व मोरारजी देसाई द्वारा की गई।
6. कांग्रेस फोर डेमोक्रेसी की स्थापना 1971 में जगजीवनराम प्रसाद द्वारा की गई।
7. 23 जनवरी, 1977 को भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस तथा सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया था।

जनता पार्टी (1977) का विघटन

- भारतीय जनता पार्टी, 1980 अटल बिहारी वाजपेयी
- जनता दल, 1998, वी. पी. सिंह 1979, राजनारायण
- जनता पार्टी (सेक्यूलर)

✦ राजस्थान:

1. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP)
2. इसे जून, 2019 को राज्य दल का दर्जा दिया गया।

✦ तमिलनाडु:

1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड1 मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) 1972 में गठित
2. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) 1949 में गठित
3. देसिया पुरपोक्कु, द्रविड़ कड़गम

✦ तेलंगाना:

1. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन
2. तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 में
3. तेलुगुदेशम् पार्टी 1982 में
4. युवाजना श्रमिका राय कांग्रेस पार्टी

✦ त्रिपुरा:

1. इंडिजिनियस पीपुल्स/फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
2. तृणमूल कांग्रेस
3. तिपरा मोथा पार्टी

✦ उत्तरप्रदेश:

1. समाजवादी पार्टी (सपा) 1992 में

✦ पश्चिम बंगाल:

1. ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक
2. तृणमूल कांग्रेस 1998

✦ आंध्रप्रदेश:

1. तुलुगु देशम
2. युवाजना श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी

वर्तमान लोकसभा चुनाव का वर्गीकरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल		चरण के अनुसार मतदान प्रतिशत													
			पहला चरण 19 अप्रैल		दूसरा चरण 26 अप्रैल		तीसरा चरण 07 मई		चौथा चरण 13 मई		पाँचवा चरण 20 मई		छठा चरण 25 मई		सातवाँ चरण 01 जून	
	सीट	प्रतिशत	सीट	प्रतिशत	सीट	प्रतिशत	सीट	प्रतिशत	सीट	प्रतिशत	सीट	प्रतिशत	सीट	प्रतिशत	सीट	प्रतिशत
आँध्रप्रदेश	25	80.66	–	–	–	–	–	–	25	80.66	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	2	77.68	2	77.68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	14	81.62	5	78.25	5	81.17	4	85.45	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	40	81.62	4	49.26	5	59.45	5	59.14	5	58.21	5	56.76	8	57.18	8	53.29
छत्तीसगढ़	11	72.17	1	68.29	3	76.24	7	71.98	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	2	76.06	–	–	–	–	2	76.06	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	26	60.13	–	–	–	–	25	60.13	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	10	64.80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	64.80	–	–
हिमाचल प्रदेश	4	70.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	70.90
झारखंड	14		–	–	–	–	–	–	4	66.01	3	63.21	4	65.39	3	70.88
कर्नाटक	28	70.64	–	–	14	69.56	14	71.84	–	–	–	–	–	–	–	–
केरल	20	71.27	–	–	20	71.27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मध्यप्रदेश	29	66.87	6	67.75	6	58.59	9	66.74	8	72.05	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	48	61.29	5	63.71	8	62.71	11	63.55	11	62.21	13	56.89	–	–	–	–
मणिपुर	2	80.47	1.5	76.10	0.5	84.85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	2	76.60	2	76.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	1	56.87	1	56.87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	1	57.72	1	57.72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ओडिशा	21	74.51	–	–	–	–	–	–	4	75.68	5	73.50	6	74.45	6	74.41
पंजाब	13	62.80	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	62.80
राजस्थान	25	61.34	12	57.65	13	65.03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	1	79.88	1	79.88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडू	39	69.72	39	69.72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तेलंगाना	17	65.67	–	–	–	–	–	–	17	65.67	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा	2	80.92	1	81.48	1	80.36	–	–	17	65.67	–	–	–	–	–	–
उत्तरप्रदेश	80		8	61.11	8	55.19	10	57.55	13	58.22	14	58.02	14	54.04	13	55.85
उत्तराखण्ड	5	57.22	5	57.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	42		3	81.91	3	76.58	4	77.53	8	80.22	7	78.45	8	82.71	9	76.80
अंगमान और निकोबार द्वीप	1	64.10	1	64.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	1	67.98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	67.98
दादर और नागर हवेली और दमन दीव	2	71.31	–	–	–	–	2	71.31	–	–	–	–	–	–	1	67.98
दिल्ली	7	58.69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	58.69	–	–
जम्मू और कश्मीर	5	58.58	1	68.57	1	72.22	–	–	1	38.49	1	59.10	1	55.40	–	–
लद्दाख	1	71.82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	71.82	–	–	–	–
लक्षद्वीप	1	84.16	1	84.16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुडुचेरी	1	78.90	1	78.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

✦ **राजस्थान से वर्तमान में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में 4 सांसद शामिल है-**

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
(कैबिनेट मंत्री) - संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय

श्री भूपेन्द्र सिंह यादव
(कैबिनेट मंत्री) - वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय

श्री अर्जुनराम मेघवाल
(स्वतंत्र प्रभार) - कानून एवं न्याय मंत्रालय में संसदीय कार्य मंत्रालय

श्री भागीरथ चौधरी
(राज्य मंत्री) - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

✦ **राजस्थान विधानसभा का उपचुनाव-**

- बागीदौरा (बाँसवाड़ा) विधानसभा चुनाव 2023 में इस सीट से महेन्द्रजीत सिंह मालवीय विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, लेकिन इनके द्वारा इस्तीफा दिये जाने के कारण इस सीट के उपचुनाव करवाना पड़े।
- इस सीट के उपचुनाव 26 अप्रैल, 2024 को लोकसभा के द्वितीय चरण के साथ कराया गया तथा इसका परिणाम जून, 2024 को घोषित किया गया।
- बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में 77.50% मतदान किया गया।
- उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के सदस्य जयकृष्ण पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुभाष तम्बोलिया को 51,434 मतों से हराया। विजेता- जयकृष्ण पटेल (भारतीय आदिवासी पार्टी)
- इसी के साथ राजस्थान विधानसभा में भारतीय आदिवासी पाटी (BAP) के 4 विधायक हो गये है।

शीत युद्ध

✦ **शीत युद्ध क्या है?**

- शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियन संघ एवं उसके आश्रित देशों (पूर्वी यूरोपीय देश) और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों (पश्चिमी यूरोपीय देश) के बीच भू-राजनीतिक तनाव की अवधि (1945-1991) को कहा जाता है।

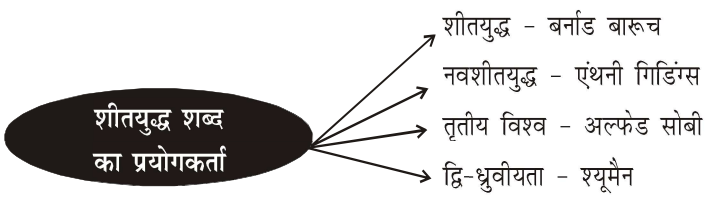

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बनार्ड एच बारूच ने 16 अप्रेल 1947 को अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना विधानमण्डल में दिये भाषण में किया।
- बारूच के बाद फ्रांसिसी वाल्टर लिपमेन की पुस्तक 'Cold war' (कॉल्ड वॉर) - 1947 से यह शब्द प्रसिद्ध हुआ।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों- सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था।
- यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने-अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थीं।

- 'शीत' शब्द का उपयोग इसलिये किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई यु नहीं हुआ था।

✦ **शीतयुद्ध की परिभाषाएँ:**

✍ **जॉन फॉस्टर डलेस** के अनुसार, 'शीतयुद्ध नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था, अच्छाई का बुराई के विरूद्ध, सत्य का असत्य के विरूद्ध, धर्मप्राण लोगों का नास्तिकों के विरूद्ध।'

✍ **KPS मैनन** के अनुसार, 'शीतयुद्ध दो विचारधाराओं के मध्य युद्ध था जैसे- पूंजीवाद V/s साम्यवाद, उदारलोकतंत्र V/s जनवादी लोकतंत्र, NATO V/s वारसा, अमेरिका V/s सोवियत संघ (रूस), स्टालिन V/s जॉन फॉस्टर डलेस।

✍ **पं. जवाहरलाल नेहरू** के अनुसार, 'शीतयुद्ध पुरातन शक्ति का नयारूप है, यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष है।'

✍ **डॉ. एम. एस. राजन** के अनुसार, 'शीतयुद्ध, शक्ति- संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोध पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिन्तन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक-दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है।'

✍ **पं. नेहरू** ने शीतयुद्ध को घृणा युद्ध, निलबित मृत्युदण्ड भी कहा।

✍ **लूई हॉले** के अनुसार, 'शीतयुद्ध परमाणु युग की ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्रयुद्ध से भी ज्यादा भयानक है।'

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- शीत युद्ध सहयोगी देशों, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में यू.के., फ्रांस आदि शामिल थे और सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों के बीच शुरू हुआ था।

➢ **शीतयुद्ध के लक्षण:**

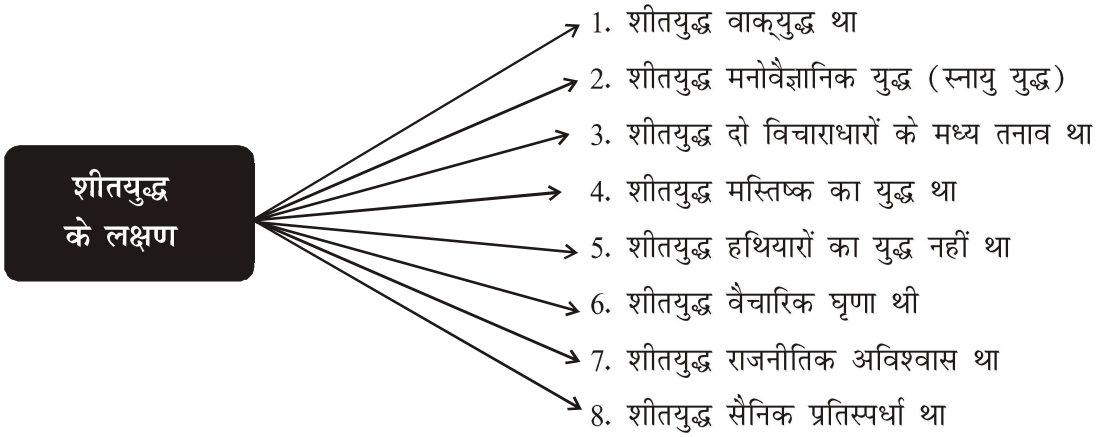

➢ शीतयुद्ध के साधन:

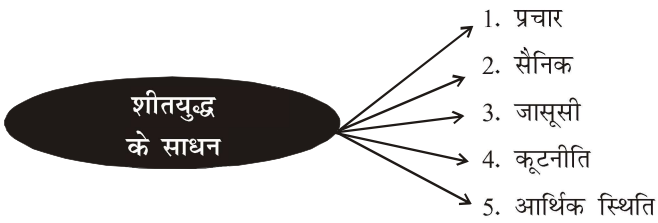

➢ शीतयुद्ध का मानचित्र:

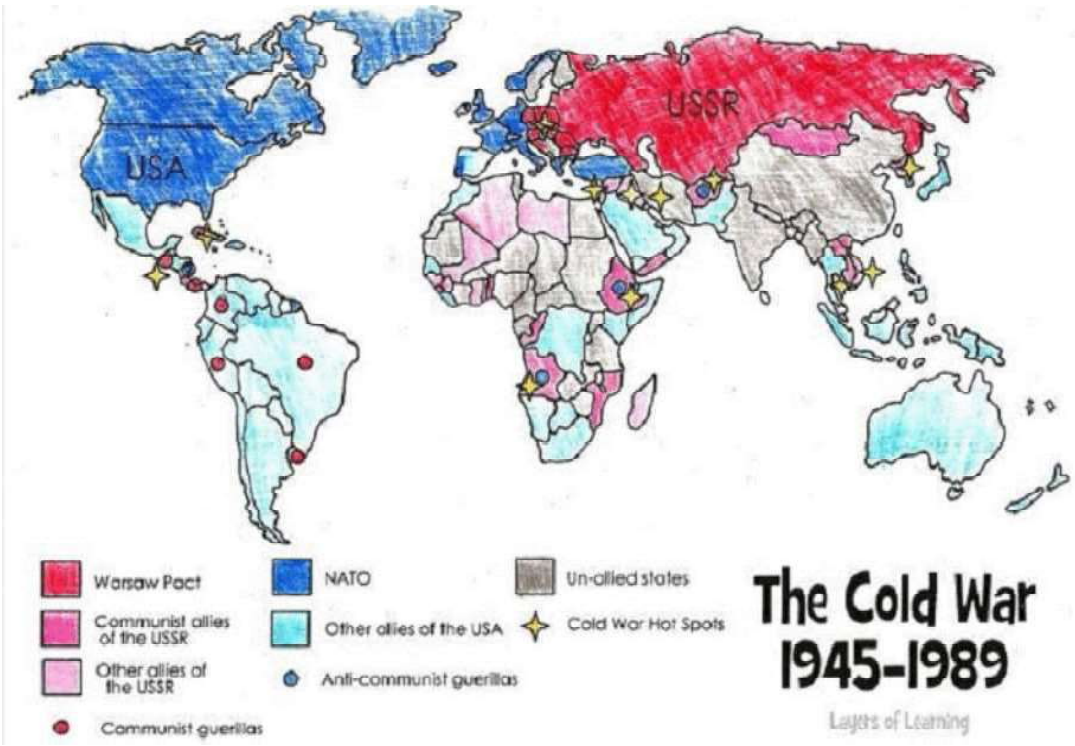

RBSE के अनुसार शीतयुद्ध के कारण

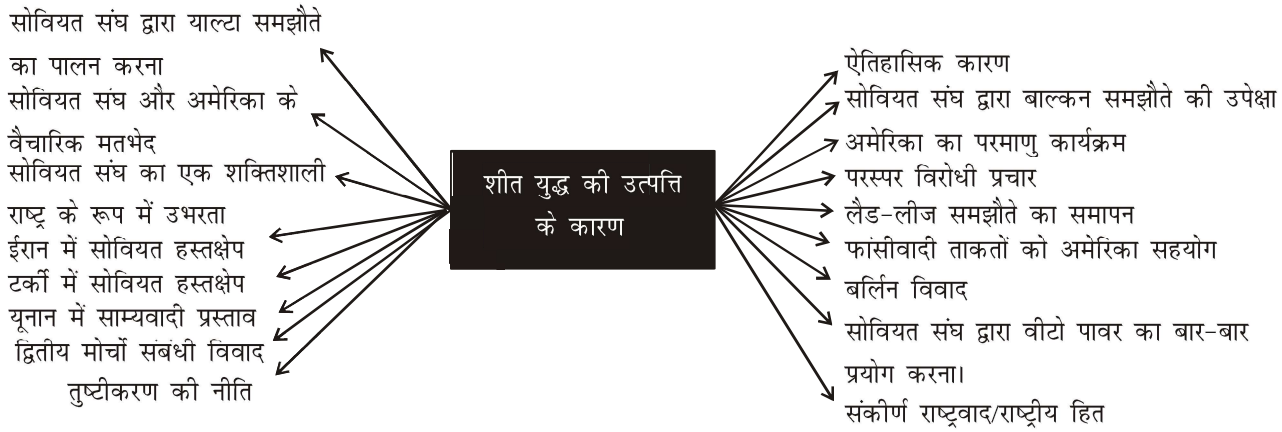

- स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की जड़ें उन प्रस्तावों व नीतियों में ढूंढी जा सकती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना के पश्चात् के 62 वर्षों (1885-1947) में महत्वपूर्ण विदेश नीति के विषयों पर अपनाई थी। यह सत्य है कि पराधीन भारत की विदेश नीति का निर्माण 1885 में स्थापित इंडिया हाउस, लंदन में होता था।
- अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन फिर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर चुका था तथा कई विषयों पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं के न केवल सकारात्मक परिणाम निकले, बल्कि स्वतंत्र भारत की नीतियों हेतु ठोस आधार भी तैयार हो गया था। इसी आधार पर पराधीन भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी प्राप्त होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ही भारत संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का 1945 में प्रारंभिक सदस्य बन सका।

भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य

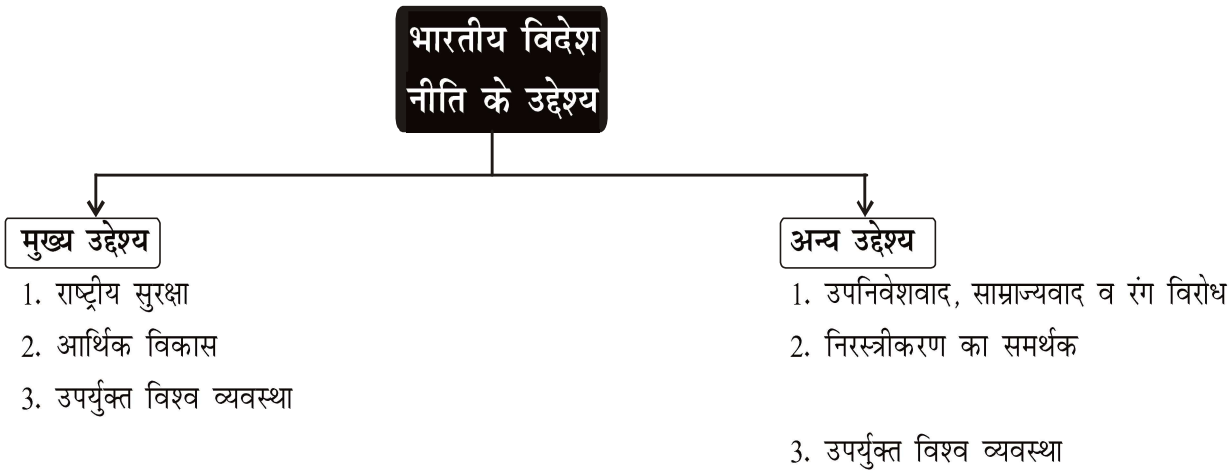

➢ प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु विदेश नीति के उद्देश्य तय करते है। भारत की विदेश नीति ने भी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इन उद्देश्यों का विवरण निम्नलिखित है-

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना।
2. अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहन देना।
3. सभी राज्य और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना।
4. अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना।
5. सैनिक गुटबंदिओं और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसे गुटबंदिओं को प्रोत्साहन न देना।
6. उपनिवेशवाद का कठोर विरोध करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो।
7. सभी प्रकार की साम्राज्यवादी भावना का विरोध करना।
8. उन देशों के जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों।

विदेश नीति की प्रकृतिविदेश

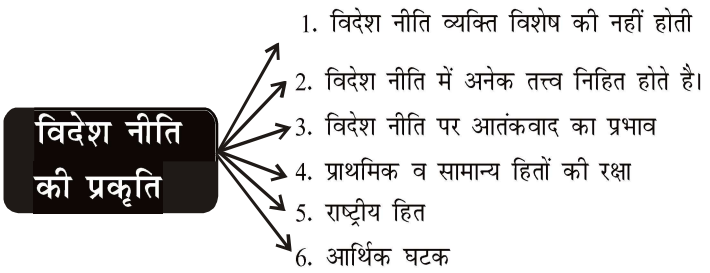

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)

- **संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है:** संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली-भांति कार्यान्वयन करना शामिल है।
- **संयुक्त राष्ट्र संघ का आदर्श वाक्य - 'स्वस्थ ग्रह पर शांति, गरिमा और समानता'।**
- **UNO की भाषा:** चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसिसी, रूसी (ये चारों भाषाएं UNO की स्थापना के समय स्वीकृत थी) फिर 1973 में अरबी व स्पेनी को मान्यता दी गई।
- **कामकाजी भाषा** - अंग्रेजी व फ्रेंच है।
- **संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिह्न** - 'दुनिया का नक्शा, जिसके चारों ओर जैतून की पत्तियां है जो यह पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती है।'

क्या आप जानते हैं?

- संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिह्न - 'ओलिवर लिंकेन लुडक्विस्ट' ने 1945 में तैयार किया। जबकि 20 अक्टूबर 1947 को महासभा के प्रस्ताव के द्वारा UNO के झंडे को मान्यता मिली।

UNO के उत्पत्ति के चरण

UNO के उद्भव चरण/सोपान

- प्रथम चरण- इटंरअलाइड सम्मेलन
- द्वितीय- अटलांटिक चार्टर
- तृतीय- वांशिगटन सम्मेलन
- चतुर्थ- मास्को व तेहरान सम्मेलन
- पंचम- वाल्टा सम्मेलन
- षष्ठम- सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन

1. **इंटरअलाइड सम्मेलन** - यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का पहला कदम था जिस पर 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षर हुए।
2. **अटलांटिक चार्टर** - 1941 (August) फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट व चर्चिल के मध्य हस्ताक्षरित इस चार्टर में सुन्दर व सुनहरे वैश्विक भविष्य से सम्बंधित 8 सिद्धांत थे।

क्या आप जानते हैं?

- **इसके दस्तावेज पर समुद्र (SomewhereAt sea) Price of Wales** नामक जहाज पर बैठक के दौरान हस्ताक्षर किये गये। इसलिए अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज पर फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट व चर्चिल के मध्य 8 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हुए।

3. **वांशिगटन सम्मेलन** Jan, 1942 (U.S.A) U.S.A., U.K., USSR, China आदि 26 मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में UNO की घोषणा की गई। इस घोषणा पर दिसम्बर, 1943 तक 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। यही राष्ट्र बाद में संस्थापक सदस्य कहलाए। एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति।
   - F.D. रूजवेल्ट ने UNO नाम दिया।
4. **तेहरान सम्मेलन** - 1943
   - रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल के मध्य।
   - U.N.O. सदस्यता संबंधी निर्णय।
5. **याल्टा सम्मेलन** (क्रीमिया-रूस) - फरवरी, 1945 (रूजवेल्ट + स्टालिन + चर्चिल) महत्वपूर्ण निर्णय- 5 स्थायी सदस्य + स्थायी सदस्यों को veto power)
6. **सैन फ्रांसिसिकों सम्मेलन** - जून, 1945
   26 जून, 1945 को 50 देशों ने UNO चार्टर पर हस्ताक्षर किये, पालेण्ड ने 15 अक्टूबर, 1945 को हस्ताक्षर किये। सदस्य। 30 अक्टूबर, 1945 India UNO में शामिल। इस प्रकार 51 मूल / संस्थापक

UNO के अध्याय व अनुच्छेद			
क्र.सं.	अध्याय	विवरण	अनुच्छेद
1.	अध्याय I	उद्देश्य और सिद्धांत, प्रस्तावना	अनुच्छेद 1–2
2.	अध्याय I	उद्देश्य और सिद्धांत	अनुच्छेद 1–2
3.	अध्याय II	सदस्यता	अनुच्छेद 3–6
4.	अध्याय III	अंग	अनुच्छेद 7–8
5.	अध्याय IV	महासभा	अनुच्छेद 9–22
6.	अध्याय V	सुरक्षा परिषद्	अनुच्छेद 23–32
7.	अध्याय VI	विवादों का प्रशांत निपटान	अनुच्छेद 33–38
8.	अध्याय VII	शांति के लिए खतरों, शांति के उल्लंघन और आक्रामक कृत्यों के संबंध में कार्रवाई	अनुच्छेद 39–51
9.	अध्याय VIII	क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ	अनुच्छेद 52–54
10.	अध्याय IX	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग	अनुच्छेद 55–60
11.	अध्याय X	आर्थिक और सामाजिक परिषद्	अनुच्छेद 61–72
12.	अध्याय XI	गैर–स्वशासी क्षेत्र के संबंध में घोषणा	अनुच्छेद 73–74
13.	अध्याय XII	अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली	अनुच्छेद 75–85
14.	अध्याय XIII	ट्रस्टीशिप परिषद्	अनुच्छेद 86–91
15.	अध्याय XIV	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय	अनुच्छेद 92–96
16.	अध्याय XV	सचिवालय	अनुच्छेद 97–101
17.	अध्याय XVI	विविध प्रावधान	अनुच्छेद 102–105
18.	अध्याय XVII	संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्थाएँ	अनुच्छेद 106–107
19.	अध्याय XVIII	संशोधन	अनुच्छेद 108–109
20.	अध्याय XIX	अनुसमर्थन और हस्ताक्षर	अनुच्छेद 110–111

✦ **संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण**

- 24 Oct- 1945 UNO उद्भव हुआ उस समय USA के राष्ट्रपति F D रूजवेल्ट नहीं (अप्रेल, 1945 में मृत्यु) ट्रुमैन थे।
- **मुख्यालय** - न्युयार्क
- **वर्तमान सदस्य संख्या** - 193 (Last दक्षिण सुडान) यह 2011 में सदस्य बना। प्रथम सम्मेलन
- वेस्टमिनिस्टर हॉल, लंदन में Jan - 1946

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- India भी संस्थापक सदस्य
- India का प्रतिनिधित्व श्री ए. रामास्वामी मुदालियर ने किया।
- भारत की ओर से रामास्वामी मुदालियर व वी. टी. कृष्णामचारी ने हस्ताक्षर किए।

अध्याय 1&2 : उद्देश्य और सिद्धांत (अनु. 1 - 2)

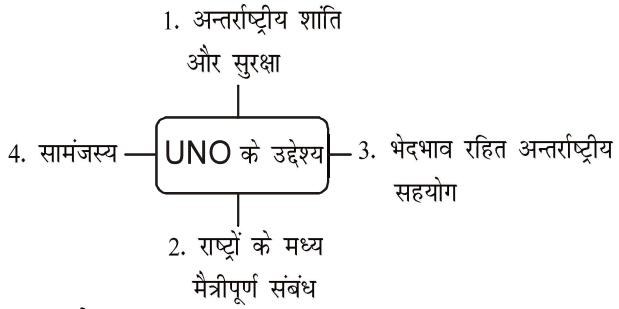

✦ **अनुच्छेद 1**

➢ **संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य है:**

- अतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, और उस उद्देश्य के लिए शांति के लिए खतरों की रोकथाम और हटाने के लिए, और आक्रामकता या शांति के अन्य उल्लंघनों के कृत्यों के दमन के लिए और शांतिपूर्ण तरीकों से प्रभावी सामूहिक उपाय करना। और न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय विवादों या स्थितियों का समायोजन या निपटान जिससे शांति भंग हो सकती है।

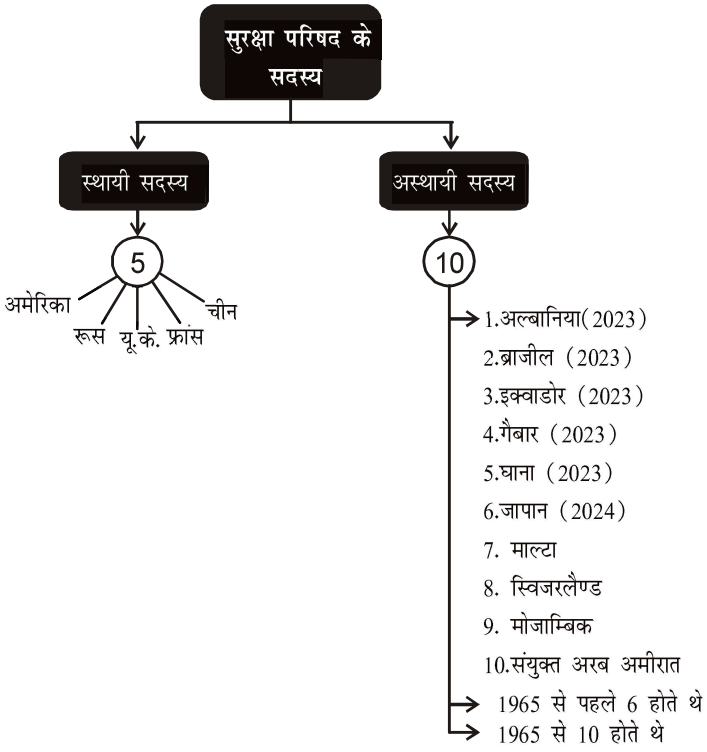

✦ **SC की सदस्य संख्या**- 15 (5 स्थायी - रूस, USA, UK, फ्रांस, China + 10 अस्थायी)

- 1965 से पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या - 6 ही थी जिन्हें बढ़ाकर 1965 में 10 कर दिया गया। (इस प्रकार मूल UNO में = 5 स्थायी।
  5 स्थायी + 6 अस्थायी = 11 सदस्य)

➢ **अस्थायी सदस्य का कार्यकाल** - 2 वर्ष

- अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होती है। तथा तत्काल बाद पुनः सदस्यता नहीं मिलती।
- इण्डिया 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। प्रथम बार (1950 व 51) 7वीं बार - (2011-2012 = 2वर्ष) 8वीं बार 2021-22 के लिए।

➢ **मुख्य कार्यः**

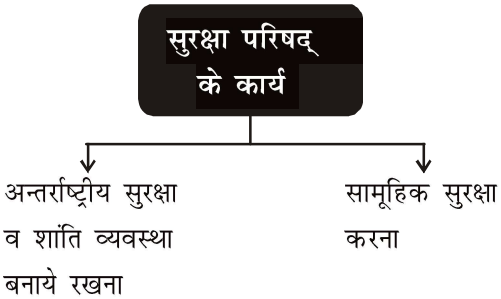

(A) वैश्विक सुरक्षा व शांति बनाये रखना।

(B) सामुहिक सुरक्षा (Collective Security) - 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'

- 1992 में शीतयुद्ध अन्त की पृष्ठभूमि में UNO के तात्कालिक महासचिव बुतरस - बुतरस घाली ने "Agenda for Peace" दिया जिससे तीन शब्दों का उद्भव हुआ।

➢ **Peace Making** - संभावित युद्ध को रोकने हेतु कुटनीति उपाय वार्ता, मध्यस्थता वगैरा। अर्थात निवारात्मक कूटनीति। (Preventive Diplomacy)

➢ **Peace Keeping (शांति स्थापन)** - युद्धरत पक्षों को अलग-अलग करके शांति स्थापना करना तथा शांति सेना की तैनाती।

➢ **SC में निर्णय** - अनु. 27 = Veto (अनु. 27 में सुरक्षा परिषद् में Voting Process का वर्णन है। इस अनुच्छेद में शब्दश वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है।)

(A) प्रक्रिया सम्बंधी मामले - रूटीन के व साधारण मामले। ये 15 में से 9 सदस्यों के समर्थन से निर्णित हो जाते है।

(B) गैर-प्रक्रियात्मक मामले - महत्वपूर्ण मामले 9 सदस्यों का समर्थन हो पर 5 स्थायी द्वारा Veto का प्रयोग न हो अर्थात पांचों का सकारात्मक समर्थन जरूरी। इसमें राजनीतिक व सुरक्षा संबंधी मामले आते है।

✦ **Double Veto power (दोहरा निषेधानिकार)**

- कोई मामला प्रक्रिया संबधी है या नहीं।
- यह निर्णय भी veto के अधीन।
- **त्रिग्वेली** "veto के कारण UNO नपुंसक है। महाशक्तियों के संघर्ष के कारण इसे लकवा हो गया है।'
- **नेहरू** - "UNO के न होने से अच्छा है, VETO वाला लंगड़ा UNO"
- UNO ने Veto Power का प्रयोग अधिकांशत ईजरायल के समर्थन में किया।
- UK व फ्रांस का Ist Veto - 1956 - ईजरायल के पक्ष में स्वेजनहर संकट में।
- पहला Veto सोवियत संघ ने किया था 16 फरवरी 1946 को लेबनान व सीरिया से सेना वापसी के मुद्दे पर। सर्वाधिक बार भी इसी ने प्रयोग किया है Veto का। सबसे कम चीन ने Veto का प्रयोग किया है।

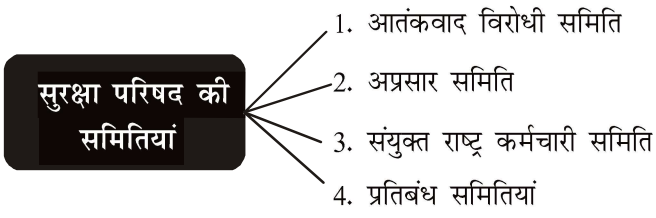

3. आर्थिक व सामाजिक परिषद् - (Ecosoc)

➢ **दर्शन** - तत्परता, क्षमता, निष्पक्षता।

- 1919 में बनी Leage of Nations (राष्ट्र संघ) में वो सारे अंग थे जो UNO में हैं। पर आर्थिक व सामाजिक परिषद् उसका अपवाद है। यह अंग राष्ट्र संघ में नहीं था।

➢ **सदस्य संख्या** - 54/ कार्यकाल - 3 वर्ष, प्रत्येक वर्ष - 1/3 रिटायर

- बहुपक्षीयता और बहुपक्षीय संगठनों का संवर्धन और बचाव उपयुक्त मानदंड के आधार पर करने के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से मानव जाति को प्रभावित करने वाली समस्याओं को हल करना।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप, सभी अंतराष्ट्रीय संघर्षो का शांतिपूर्ण समाधान।
- राज्य के आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना।

✦ **गुटनिरपेक्षता (NAM) के उद्देश्यः**

- विश्व की राजनीति में एक स्वतंत्र रास्ता अपनाना जिसका मतलब यह नहीं है की प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में ये सदस्य देश तटस्थ रहेंगे।
- स्वतंत्र निर्णय का अधिकार, साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, और इन तीन बुनियादी तत्वों के साथ सभी बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों में संयम रखना जो इसके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हो।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण को सरल बनाना।
- गुटनिरपेक्षता के आधार स्तंभ और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने कहा था, 'मैं सोचता हूं कि तटस्थता का प्रयोग गलत है। एक अच्छा शब्द गुटनिपरेक्षता है। तटस्थता शब्द का निर्माण केवल युद्ध के समय के लिए हुआ है। हम नैतिक रूप में तटस्थ नहीं है, लेकिन हम गुटनिरपेक्ष हैं, इसलिए हम प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का न्याय उसके गुणों के आधार पर करते हैं, ना कि गुट के आधार पर।'

☞ **क्या आप जानते हैं?**

- 'The scope of Neutralism' में लंदन में छपे लेख में प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज श्वानजनबर्जर ने 6 संबंधित धारणाओं जैसे -अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता का अर्थ स्पष्ट करते हुए गुटनिरपेक्षता को इन सब में अलग माना है-

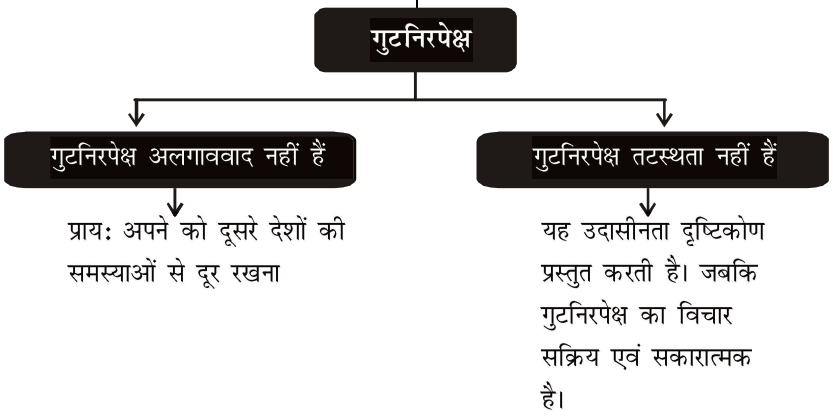

1. **टलगाववादः** ऐसी नीतियों का समर्थन करना जिससे विश्व राजनीति में कम से कम भाग लें।
2. **अप्रतिबद्धताः** किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से ना होना।
3. **तटस्थताः** युद्ध के समय युद्धरत दोनों पक्षों से अलग रहने की नीति का समर्थन करना।
4. **एकपक्षताः** किसी अन्य पक्ष की परवाह किए बिना अपनी नीतियों तथा आदर्शों का टिके रहना।
5. **असंलग्नताः** विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के के बीच हो रहे संघर्षो से उत्पन्न खतरों से बचने के लिए तथा अलग रहने के लिए यह नीति अपनाई जाती है।
6. **तटस्थीकरणः** यह स्विट्जरलैंड की भांति सदैव तटस्थ रहने की नीति है।

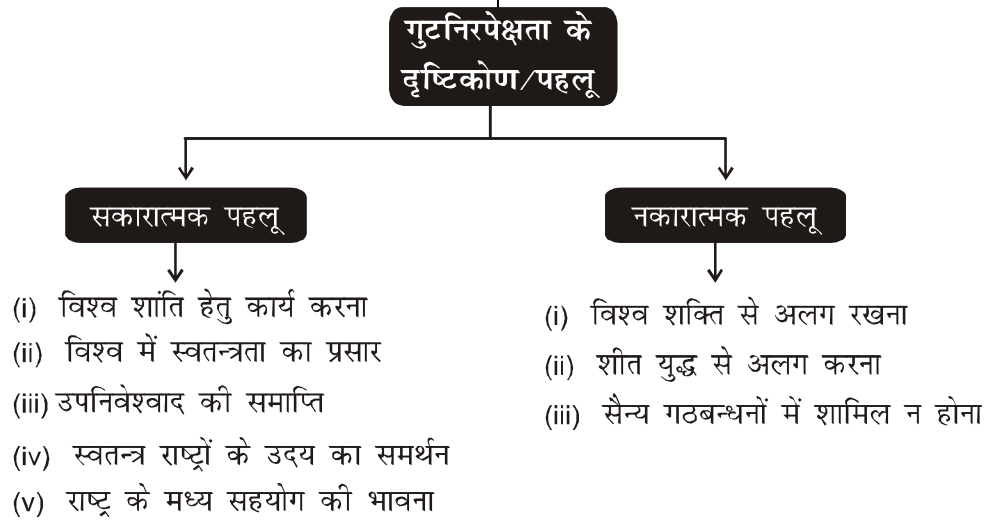

13. 1971 में भारत-पाक युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी। इस दौरान उसने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ एक मैत्री सन्धि भी की। भारत ने इस दौरान गुटनिरपेक्षता को नए सिरे से परिभाषित करके अपनी इस नीति को ओर अधिक सुदृढ़ बनाया। भारत ने कहा कि यह कोई सैनिक सन्धि नहीं हे, जिसका युद्ध में प्रयोग किया जा सके।
14. 1977 में भारत ने सत्ता परिवर्तन से यह आशा की जाने लगी कि भारत इस नीति का परित्याग करके किसी न किसी गुट के साथ अवश्य शामिल हो जाएगा। लेकिन नई सरकार ने भी अपनी पुरानी नीति को ही व्यापक आधार प्रदान किया।
15. 11 मार्च, 1983 को भारत को गुट-निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया, वह लगातार गुटनिरपेक्षता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करता रहा। 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति पर इसकी प्रासांगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया।

☞ क्या आप जानते हैं?

- लेकिन भारत आज भी गुट-निरपेक्ष देश के रूप में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत ने 2002 में अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा की गई आतंकवादी विरोधी कार्यवाही पर मिली-जुली प्रतिक्रिया की। आज भी भारत इस नीति को मजबूत बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। भारत गुटनिरपेक्षता को बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अनुसार परिभाषित करने की दिशा में काम कर रहा है। आज गुटों से दूर रहना गुट-निरपेक्षता की आवश्यक शर्त नहीं है।, भारत का मानना है कि किसी सैनिक संधि में शामिल देश भी गुटनिरपेक्ष देश हो सकते है। आज गुटनिरपेक्षता को अधिक सार्थक व उपयोगी बनाने के लिए भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग में वृद्धि करने के लिए कार्यरत है। भविष्य में भारत का स्वरूप है कि गुट निरपेक्षता एक ऐसे सशक्त आन्दोलन के रूप में उभरे कि यह नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग मनवा सके और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण नए सिरे से हो, ऐसी स्थिति में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का महत्व और बढ़ जाता है।

भारत और गुटनिरपेक्षता:

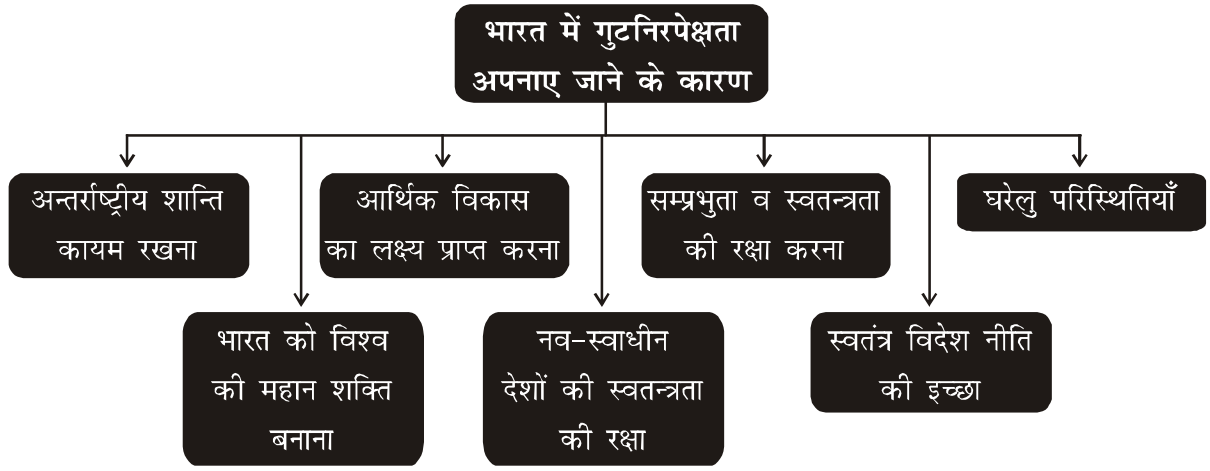

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने वाला प्रथम देश भारत हे। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के सामने सबसे प्रमुख समस्या अपनी सुरक्षा व आर्थिक विकास की थी, वह उपनिवेशवादी शोषण को अच्छी तरह पहचान चुका था, वह किसी भी शक्ति गुट के खिलाफ था, इसलिए उसने शक्ति गुटों से दूर रहकर ही अपनी भूमिका निभाने का निर्णया किया और गुट निरपेक्षता को ही अपनी विदेश नीति का प्रमुख आधार बनाया। भारतीय विदेश नीति के आधार के रूप में गुट निरपेक्षता निरन्तर विकास की ओर अग्रसर रही। 1949 में अमेरिकी कांग्रस ने नेहरू जी ने कहा था कि भारत अपने विदेशी सम्बन्धों में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेगा, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति मूकदर्शक बनकर भी नहीं रहेगा। वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट राजनीति से दूर रहकर भूमिका निभाने को प्राथमिकता देगा।
- भारत ने अपनी स्वतन्त्रता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को तनावपूर्ण पाया। उसका विश्वास था कि किसी भी गुट के साथ शामिल होने से तनाव में और अधिक वृद्धि होगी। उसने अपने विश्व शांति के ऐतिहासिक विचार को ही आगे बढ़ाने का निर्णय किया। इसी पर उसकी राष्ट्रीय पहचान निर्भर हो।